गोवा सर्व शिक्षा अभियान

वार्षिक वृतांत

२०११ -२०१२

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

गोवा सर्व शिक्षा अभियान वार्षिक वृतांत

भारतीय संविधान के ८६ वे संशोधन में ६ से १४ वर्ष तक के आयु के हर बच्चे को मूलभूत मफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया हैं| शिक्षा सर्व प्रारंभिक इस अभियानशिक्षा के ध्येय की तरफ अग्रसर होने का एक समयबद्ध एवं एकीकृत उपक्रम है |– कानून हक का शिक्षा २००९ में यह दोहराया गया है कि6 से14 वर्ष तक के हर बच्चे को उपयुक्त दर्जात्मक, अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना है|यह अधिनियम केवल वैधानिक न होकर ये दस्तावेज प्रत्येक राज्य का नैतिक दायित्व बनता है |अधिनियम के अनुसार कार्यान्वयन का दायित्व पाठशाला का है नकि माता पिता का |सर्व शिक्षा अभियान द्वारा अधिनियम को प्रभावात्मक रूप से अस्तित्व में लाने के लिए उस के सूत्रपात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है |

सार्वत्रिकरण के लिए एक ऐतिहासिक समयबद्,ध ६उपक्रम एकीकृत, ६से तक १४ के साल को बच्चे हरप्रदान करना उसकी प्राथमिकता है|शालेय शिक्षा की क्षमता बढ़ाना और दर्जात्मक प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान समाज के स्वामित्व में करना उसकी प्रमुखता रही है |

गोवा में शिक्षा के सार्वत्रिकरण के हेतु विशिष्ट समयबद्ध और निश्चित ध्येय लेकर २ अक्तूबर २००५ को इसकी शुरुआत हुई | प्रारंभिक शिक्षा में बच्चों को पाठशाला में भर्ती कराना, उनकी उपस्थिति तथा प्रतिधारण सुनिश्चित करना यह गोवा में कोई बड़ी समस्या नहीं है | महाराष्ट्र,कर्नाटक से लेकर ओरिसा ,राजस्थान जैसे सुदूर राज्यों से काम की खोज में आनेवाले परिवारों के बच्चे स्थलांतरण के कारण अक्सर पाठशाला में भर्ती नहीं हो पाते हैं और अगर भर्ती होते हैं तो थोड़े दिनों में कहीं और चले जाते हैं| ओरिसा ,आंध्रप्रदेश ,तमिलनाडु और बिहार जैसे राज्यों से भी बहुत बड़ी तादाद में बच्चे आते हैं |ज्यादातर मच्छीमारी के मौसम में

गोवा के किनारपट्टी पर ये पाए जाते हैं। इन बच्चों को शिक्षा के मुख्य प्रवाह में लाना गोवा सर्व शिक्षा अभियान के लिए चुनौती है।इस दिशा में गोवा सर्व शिक्षा अभियान कारगर कदम उठा रहा है।

गोवा सर्व शिक्षा अभियान के इन प्रयत्नों के फल भी अभी नजर आने लगे हैं।राज्य के अन्दर और राज्य के बाहर स्थलान्तरण करनेवाले बच्चों की समस्या अभी भी पूरी तरह हल नहीं हो रही है,लेकिन पाठशाला से बाहर रहनेवाले बच्चों को आवासी और गैर आवासी केन्द्रों में अनौपचारिक शिक्षा देकर उन्हे शिक्षा के मुख्य धारा में लाने के प्रयास फलदायी हो रहे हैं।

समावेशी शिक्षा में भी गोवा सर्व शिक्षा अभियान ने भरसक कोशिश की है। विशेष योग्यतावाले बच्चों को सहायक साधन , श्रवण यंत्र , ब्रेल लिपि की किताबें, रैंप जैसी सुविधाएँ उपलब्ध करायी हैं, जिसके कारण पाठशाला का परिवेश उनकी जरूरतों के अनुसार बदलता नजर आ रहा है।

अनुसूचित जाति और जनजाति की लड़कियों के लिए आयोजित वित्तलाभ योजनाओं को बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला हैं। लाभार्थियों में पढने की ललक जागृत करने और पढाई जारी रखने में यह योजना उपयुक्त साबित हो रही है।

अध्यापकों के सेवा अंतर्गत प्रशिक्षण की जरूरतों को ध्यान में रखकर खंड और समूह के स्तर पर अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये गए। अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियोजन इस प्रकार किया गया , जिसके फलस्वरूप अध्यापक आवश्यक कौशल और क्षमताएँ हासिल करें जिसके कारन कक्षा में अध्ययन --अध्यापन प्रक्रिया बालकेन्द्रित और मनोरंजक हो। पाठशाला में अध्यापन का स्तर बढ़ाने की दिशा में अध्यापकों में जागृति हो तथा शिक्षा का अधिकार कानून का पाठशाला में कार्यान्वयन करने में अध्यापकों की भूमिका और जिम्मेदारी इसके बारेमें भी उन्हें प्रशिक्षित किया गया।इस कार्यक्रम में समूह कार्य ,विमर्श ,लेखन-और प्रस्तुतिकरण इन कार्यकलापों का आयोजन किया गया , जिसके कारण शिक्षक विचार करे , तथ्य सामने लाये ,सक्रीय रहे और उनमें संवाद हो।

| गोवा सर्व शिक्षा अभियान सोसाइटीऔर गोवा सर्व शिक्षा अभियान के प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के अन्य उपक्रमों का विवरण इस प्रतिवेदन के अनुगामी पन्नों में दिया गया है |समाज प्रबोधन कार्यक्रमों द्वारा गोवा सर्व शिक्षा अभियान ने प्रभावी एवं अर्थपूर्ण सामाजिक सहभाग के लिए आरंभिक कदम उठाये है |इन कार्यक्रमों द्वारा जनसंचार माध्यमों का भी प्रयोग समग्र समाज उद्बोधन के लिए करने का प्रावधान है |पाठशाला समाज का ही एक अटूट हिस्सा है,समाज का उसपर अधिकार है , पाठशाला के विकास में समाज की भूमिका महत्वपूर्ण है ,यह भावना लोगों के दिलों में पैदा करने की जरुरत है| समाज प्रबोधन कार्यक्रमों का यहउद्देश है|

शासकीय परिषद

मुख्य सचिव	अध्यक्ष गोवा सर्व शिक्षा अभियान सोसाइटी
शिक्षा सचिव	अध्यक्ष,कार्यकारिणी
वित्त सचिव	सदस्य
सार्वजनिक संरचना विभाग सचिव	सदस्य
नियोजन सचिव	सदस्य
ग्रामीण विकास अभिकरण सचिव	सदस्य
समाज कल्याण सचिव	सदस्य
नारी और शिशु कल्याण सचिव	सदस्य
पंचायत सचिव	सदस्य
शिक्षा निदेशक	सदस्य
राज्य प्रकल्प निदेशक	सदस्य सचिव
सुश्री रजनीकोनानांटगी	सदस्य

पन्ना ४)   गोवा सर्व शिक्षा अभियान सोसाइटी

कार्यकारिणी समिती

शिक्षा सचिव	अध्यक्ष
वित्त सचिव	सदस्य
नियोजन सचिव	सदस्य
समाज कल्याण सचिव	सदस्य
महिला एवं बाल विकास सचिव	सदस्य
पंचायत सचिव	सदस्य
शिक्षा निदेशक	सदस्य
राज्य प्रकल्प निदेशक	सदस्य
सुश्री रजनीकोनानांटगी सहायक प्राध्यापक	सदस्य सचिव
टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसिस महाराष्ट्र	सदस्य
अधीक्षक अभियंता (पी .डब्ल्यू डी.,दक्षिण)	सदस्य
अधीक्षक अभियंता (पी .डब्ल्यू डी.,उत्तर)	सदस्य
अनुविक्षम और मूल्यांकन इकाई ,आल्त पणजी	सदस्य
शिक्षा उपनिदेशक (प्रोढ)	सदस्य

शिक्षा उपनिदेशक(उत्तर शिक्षा विभाग)	सदस्य
शिक्षा उपनिदेशक (केन्द्रीय शिक्षा विभाग)	सदस्य
शिक्षा उपनिदेशक (दक्षिण शिक्षा विभाग)	सदस्य
सुश्री मीरा देव ,भूतपूर्व सहायक शिक्षा निदेशक	सदस्य
श्री .उमेश म्हाम्ब्रे ,मुख्याध्यापक , दयानंद उच्चमाध्यमिक विद्यालय चोडण .	सदस्य
श्री तोमाजिन कार्दोज ,सेवा निवृत्त मुख्याध्यापक, सेंट जोसेफ हाईस्कूल अरपोरा	सदस्य
फादर आनतीम गोम्स.पूर्व प्राचार्य सेंट ज़ेविएर महाविद्यालय.म्हापसा	सदस्य
श्री .चंद्रकांत हेदे . मुख्याध्यापक.डा .सखाराम गुडे हाईस्कूल	सदस्य
डा . प्रमोद सालगावकर , पूर्वअध्यक्ष गोवा राज्य महिला आयोग ,पणजी	सदस्य
डा .निष्ठा देसाई. बाल अधिकार , पणजी –गोवा	सदस्य

गोवा सर्व शिक्षा अभियान (ढाँचा)

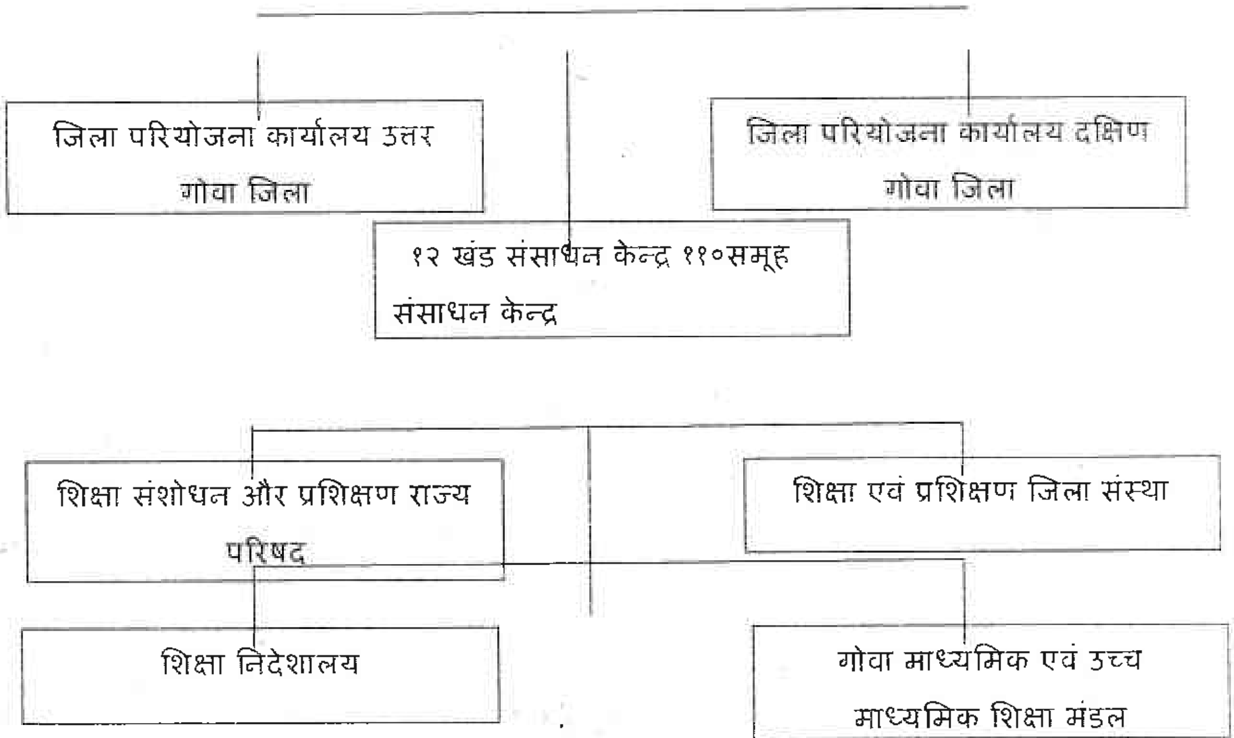

सर्वशिक्षा अभियान के क्रियाकलापों द्वारा प्रारंभिक धरातल पर विद्यालयों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए छात्रों का नामांकन, छात्रों की नियमित रूप से उपस्थिति , प्रारंभिक स्तर के अंततक छात्रों का प्रतिधारण इन बातों पर ध्यान दिया जाता है। इसलिए गोवा सर्व शिक्षा अभियान को शिक्षा निदेशालय जैसे कार्यालयों से जुड़ना अनिवार्य हो जाता है, क्यों कि बहुत से निर्णय इस शीर्ष कार्यालय से कार्यान्वित किए जाते हैं।

गोवा सर्व शिक्षा अभियान

प्रशासनिक रचना

गोवा सर्व शिक्षा का प्रधान कार्यालय जिला कार्यालयों के साथ जोड़ा गया है। उत्तर गोवा तथा दक्षिण गोवा में जिला कार्यालय हैं।जिला कार्यालयों के अधिकारी सम्बंधित खंड संसाधन केंद्र से जुड़े हुए हैं।एक जिला कार्यालय के नीचे 6 खंड संसाधन कार्यालय आते हैं।गोवा में 12 खंड संसाधन कार्यालय हैं।नीचे दिए हुए मानचित्र में राज्य की प्रशासनिक संरचना दिखाई गई हैं।

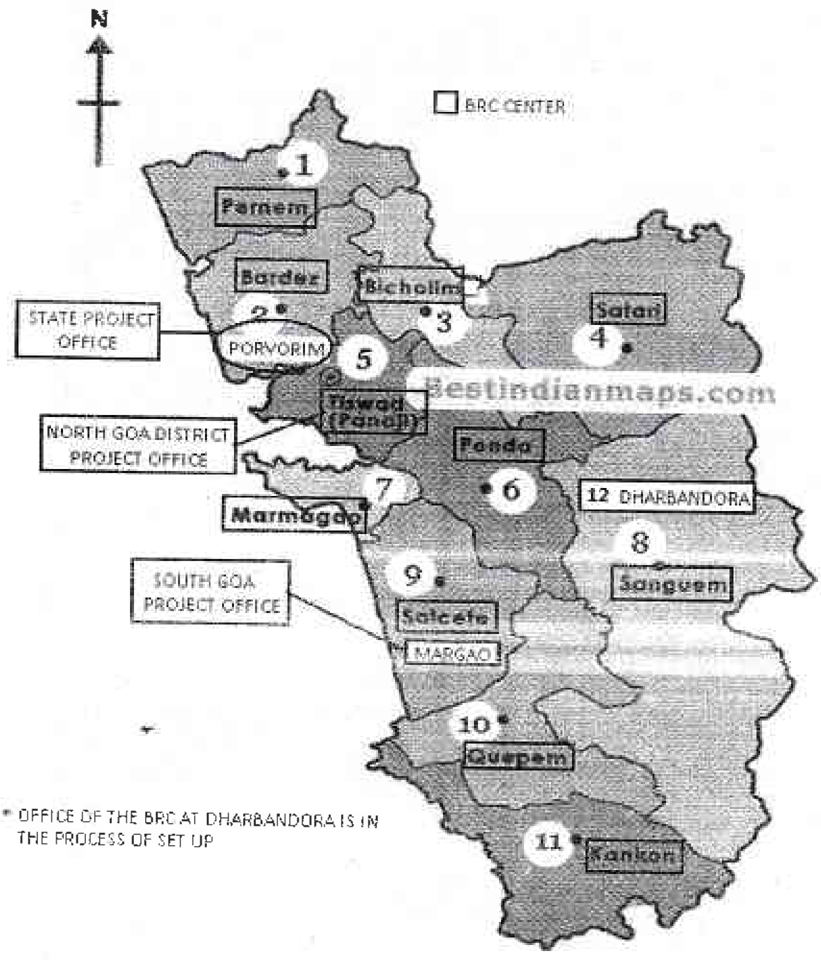

सर्व शिक्षा अभियान समिति शासकीय परिषद द्वारा नियंत्रित है|गोवा राज्य के मुख्य सचिव इसके प्रमुख हैं |कार्यकारिणी समिति ,गोवा सर्व अभियान कीयोजनाओं,प्रावधानों और क्रियाकलापों का निर्देशन और परीक्षण करती है |गोवा सर्व अभियान की संरचना उपर की आकृति में दी गई है |गोवा सर्व शिक्षा अभियान का राज्य परियोजना कार्यालय पर्वरी में स्थित है |उत्तर गोवा जिला प्रधान कार्यालय पणजी में तथा दक्षिण गोवा जिला प्रधान कार्यालय मडगाव में है | राज्य परियोजना कार्यालय की प्रमुखता राज्य परियोजना निदेशक करते हैं |उनकी सहायता शिक्षा उपनिदेशक , मुख्य लेखा सचिव, राज्य कार्यक्रम समन्वयक जो सर्व शिक्षा अभियान के विभिन्न प्रावधानों का कार्यभार निभाते हैं |

जिला परियोजना कार्यालयों के प्रमुखों का कार्यभार जिला परियोजना अधिकारियों पर है |जिला परियोजना अधिकारी के पद पर कार्य करनेवाले अधिकारी क्रमशःकेंद्रीय तथा दक्षिण विभाग के सहायक शिक्षा निदेशक होते हैं ,जो शिक्षा निदेशालय का हिस्सा हैं|

समूह संसाधन कार्यालय तथा तालुका संसाधन कार्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी को संकलित करने का काम जिला कार्यालय करते हैं |डी.आई.एस इ.जानकारी के आंकडो को एकत्रित करना और विविध गतिविधियों का पर्यवेक्षण करना जिला स्तर का प्रमुख कार्य है |

७२ व्यक्तियोंवाले तालुका संसाधन अधिकारीयों के दल को राज्य के १२ खंड में कार्यशील बनाकर गोवा सर्व शिक्षा अभियान ने अपनी कार्यप्रणाली की रुपरेखा इस तरह बनाई है कि. शैक्षिक सहायता व्यवस्था सशक्त बन सके | ११० समूह संसाधन अधिकारी हर समूह में स्थित सब पाठशालाओं की जिम्मेदारी उठा रहें हैं तथा जनसाधारण तक पहुंच रहे हैं | राज्य परियोजना कार्यालय समूह संसाधन अधिकारीयों की सक्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देती है ताकि वे अपने क्षेत्र में ज्यादा अच्छी तरह से सर्व शिक्षा अभियान के शैक्षिक तथा समाज से सम्बंधित प्रावधानों को सफलता पूर्वक संपन्न करे |शिक्षा अधिकार कानून के तहत यह जरुरी है कि.जनता तथा अध्यापकों में जागृति हो |

हर खंड /तालुका स्तर पर एम्.आई.एस.संयोजक तथा लेखा कर्मी /सहायक कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। खंड /तालुका स्तर के कार्यालय समय समय पर सांख्यकी जानकारी देने में ज्यादा कार्यप्रवण हो जाये यही इनकी नियुक्ति का प्रमुख उद्देश है।

गोवा सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धियाँ अर्थात
सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य

<u>पाठशाला की उपलब्धता तथा पाठशाला में नामांकन/प्रवेश</u>

- राज्य में प्राथमिक पाठशालाओं में बच्चों का नामांकन /प्रवेश ९९ प्रतिशत से उपर है।
- लड़कियों के नामांकन की हिस्सेदारी कुल नामांकन के ४९ प्रतिशत है ।
- प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर पर संक्रमण स्थिति लगभग १००प्रतिशत है।
- शिक्षा का अधिकार कानून के अनुसार आठवी कक्षा तक किसी छात्र को उसी कक्षा में रख नहीं सकते।(छात्र हर कक्षा का किमान अध्ययनक्रम पूरा करे यह जिम्मेदारी अध्यापक की है।)
- राज्य में प्राथमिक पाठशालाएँ हर एक की. मी.के दायरे में उपलब्ध हैं।
- राज्य में हर 3की.मी. के दायरेमें उच्च प्राथमिक पाठशालाएँ उपलब्ध हैं।
- १००प्रतिशत अध्यापक प्रशिक्षित हैं।
- अध्यापक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।
- अध्यापक तथा छात्रों का प्रमाण प्राथमिक स्तर पर १ :२६ है , तो उच्च प्राथमिक स्तर पर १ :३२ है।

<u>राज्य की नीति</u>

शासकीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक पाठशालाओं के छात्रों के लिए वर्दी /गणवेश .रेनकोट . मुप्त क्रमिक पुस्तकों का प्रावधान।

- समाज के अनुसूचित जाति /जनजाति के तथा अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए पाठशाला तक परिवहन सुविधा।
- अनुसूचित जाति /जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणियों से सम्बंधित को प्रोत्साहन छात्रवृत्ति।

पन्ना 10

- अनुसूचित जाति /जनजाति के लड़कियों के लिए और उनके परिजनों के लिए प्रोत्साहन धन राशी।

शिक्षा अधिनियम के अधिकार का कार्यान्वयन

- 31 मार्च २०१२ तक तो ये अधिनियम राज्य शासन ने अनुमोदित नहीं थे किए थे|(बादमें 23अगस्त २०१२को ये अधिनियम अनुमोदित हुए|)
- निरंतर सर्वंकश मूल्यांकन परियोजना छह से चौदा साल तक के बच्चों के मूल्यमापन के लिए शुरू की।
- शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार उम्र के अनुसार कक्षा प्रवेश।
- उम्र के अनुसार जिन बच्चों ने प्रवेश लिया है उनको कक्षा के स्तर तक लाने के लिए नियमित अध्यापक तथा गैर सरकारी संगठनों की मदद से खास प्रशिक्षण|
- पाठ्यक्रम में सुधार तथा पाठ्यपुस्तकों का विकास करने के साथ साथ उम्र के अनुसार प्रवेश लेनेवाले बच्चे और समावेशी शिक्षा को ध्यान में लेकर पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों का पुनर्गठन।

गुणवत्ता घटक

राज्य के प्राथमिक तथा उच्चप्राथमिक अध्यापकों के लिए खंड तथा समूह स्तर पर 20 दिनों का सेवान्तरगत प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न किया गया। हमारे खंड तथा समूह संसाधन अधिकारीयों ने अध्ययन-अध्यापन से संबधित विविध क्षेत्रों में उन्हें प्रशिक्षित किया। शिक्षा अधिकार कानून , छात्रकेन्द्रित अध्ययन अध्यापन प्रणालियाँ तथा तंत्र ,अध्ययन अध्यापन साधनों का निर्माण तथा उनका कक्षा में उपयोग ,छात्रों का वाचन में लगाव बढ़े इसलिए उपक्रम आयोजित किये गए|अब हाल ही में राज्य के मुख्याध्यापक ,जेष्ठ शिक्षक तथा उच्चप्राथमिक अध्यापकों के लिए छोटे कालावधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। जिसके जरिए राज्य शिक्षा तथा अनुसंधान संस्था ने विकसित की हुई "निरंतर सर्वंकश मुल्यमापन परियोजना" सब अध्यापकों तक पहुँचायी गई। शिक्षा अधिकार कानून के तहत छात्रों की प्रारंभिक शिक्षा पूरी हो इस उद्देश से ये प्रशिक्षण दिए गए।

खंड संसाधन अधिकारी तथा समूह संसाधन अधिकारीयों का प्रशिक्षण

मासिक बैठक के बावजूद खंड संसाधन अधिकारी तथा समूह संसाधन अधिकारीयों को अध्यापक प्रशिक्षण क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया गया|अध्ययन -अध्यापन प्रणालियाँ तथा तंत्र तथा उनके क्षेत्र में आनेवाले अध्यापक तथा विद्यार्थियों को शैक्षिक सहायता देने के लिए इन अधिकारीयों में क्षमता निर्माण बढाया गया।

पन्ना 11

कक्षा पहली से आठवी तक के छात्रों के लिए मुफ्त पाठ्यपुस्तकों का प्रावधान।

गोवासर्व शिक्षा अभियान ने शासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक तथा शासकीय और शासकीय सहायता प्राप्त उच्चप्राथमिक पाठशालाओं के छात्रों को पाठ्यपुस्तकें प्रदान की है।इससे करीब१.१३ लक्ष बच्चों को लाभ हुआ।अन्य ४० हजार शासकीय प्राथमिक पाठशालाओं के छात्रों को यह सुविधा शिक्षा निदेशालय से प्राप्त हुई।

अनुदान का प्रावधान

- वर्ष २००६ से राज्य के ५९०२ प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक अध्यापकों को अध्ययनअध्यापन साधन अनुदान रु. ५००/- प्रति शिक्षक के हिसाब से दिया जाता है।
- राज्य के सब शासकीय तथा शासन सहायता प्राप्त पाठशालाओं को 'शाला अनुदान'दिया जाता है।
- राज्य के शासकीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 'देखभाल अनुदान 'दिया जाता है।

खास बच्चों के लिए प्रारंभिक कदम

- उनके निदान के लिए वैद्यकीय जाँच।
- जरूरतमंद बच्चों को सहायता सामग्री का प्रावधान।
- पाठशालाओं में उनके लिए खास प्रसाधनगृह तथा रैंप का निर्माण।
- इस तरह के जो बच्चे पाठशाला तक नहीं पहुँच सकते उनके लिए 'गृह शिक्षा योजना '
- 'संसाधन कक्ष' की सुविधा।
- शिक्षा निदेशालय के साथसाथ सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संसाधन अध्यापकों की नियुक्ति।

शालाबाह्य बच्चों के लिए प्रारंभिक कदम

- गैर शासकीय संगठन के द्वारा चलाये गए आवासी तथा गैर आवासी सेतु केंद्र -13
- राज्य में स्थित गैर आवासी खास प्रशिक्षण केंद्र –46
- राज्य में स्थित आवासी प्रशिक्षण केंद्र –03
- राज्य के अल्पसंख्य समुदाय के बच्चों के लिए मदरसा—06

(पन्ना 12)

आवासी तथा गैर आवासी प्रशिक्षण केन्द्रों से लाभान्वित शालाबाह्य बच्चे – १६४०

- मुख्य धारा से जुडे हुए बच्चे –5

समाज जागृति कार्यक्रम /सामाजिक अभिप्रेरण

- ग्राम शिक्षण समिति तथा पलक शिक्षक संगठन के सदसयों के लिए खंड स्तर तथा समूह स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- पिछले वर्ष ४०००सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया।
- समाज जागृति तथा संवेदनक्षमता बढ़ाने के लिए दिए गए प्रशिक्षण के क्षेत्र .
    - शिक्षा का अधिकार कानून /अधिनियम
    - सर्व शिक्षा अभियान की परियोजनाओं में ग्राम शिक्षा समिति तथा पालक शिक्षक संगठन की भूमिका
    - शाला विकास परियोजना का निर्माण
    - छात्रों का पाठशाला में प्रवेश /नामांकन,प्रतिधारणऔर प्राथमिक शिक्षा पूरी होने के सम्बन्ध में ग्राम शिक्षा समिति तथा पालक शिक्षक संगठनो की भूमिका

गोवा का शासन शिक्षा का विकास तथा वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है।शिक्षा के सभी स्तरोंपर ऐसी योजनाओं को बढ़ावा दे रही है,जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी शिक्षा मिले जिससे उनका जीवन सुखदायी बने।

गोवा के बच्चे केवल शिक्षित नहीं बल्कि जीवन की हर राहपर चलने में सफल हो सकते है .भारत के जिम्मेदार और मानवीय नागरिक के रूप में खुद को साबित कर सकते है।

पन्ना 13

शैक्षिक दृश्यलेख

राज्य गोवा

जिले २ १)उत्तर गोवा ,जिला मुख्यालय –पणजी

२) दक्षिण गोवा ,जिला मुख्यालय ,मडगाव

खंड १२

समूह ११०

निवासी गॉव ३४७

राज्य में विद्यालय

राज्य में १६७१ प्राथमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय है |शिक्षा विभाग के अधीन राज्यसरकार ८९९ प्राथमिक विद्यालय और १३१ उच्च प्राथमिक चला रही है |वहां पर ४६५ शासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय है |काफी संख्या में बिना अ-सहायता प्राप्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों हैं ,उन्हें नकार नहीं सकते |राज्य में बिना सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय की संख्या क्रमशः १५३ और २३ है |कुलमिलाकर १७६ अ –सहायता प्राप्त संस्थाएँ प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय चला रही है |कुल विद्यालयों की संख्या विस्तारपूर्वक नीचे की सारणी में दी गयी है |

BLOCKWISE NUMBER OF SCHOOLS

No.	block	Number of schools in the block						Total		
		Government schools		Govt. Aided Schools		Unaided				
		PS	UPs with HS	PS	UPs with HS	PS	UPs	PS	UPS	TOTAL
1	Pedne	81	16	9	24	7	1	97	41	138
2	Bardez	77	10	38	53	33	2	148	65	213
3	Bicholim	91	15	6	18	5	1	102	34	136
4	Sattari	111	23	2	6	4	0	117	29	146
5	Tiswadi	53	7	20	39	29	3	102	49	151
6	Ponda	140	8	14	34	14	2	168	44	212
	TOTAL	553	79	89	174	92	9	734	262	996

7	Sanguem	117	9	4	14	2	0	123	23	146
8	Quepem	69	10	11	10	3	0	83	20	103
9	Salcet	63	10	47	56	38	10	148	76	224
10	Canacona	70	10	7	12	1	0	78	22	100
11	Mormugao	27	13	17	24	17	4	61	41	102
	TOTAL	**346**	**52**	**86**	**116**	**61**	**14**	**493**	**182**	**675**
	TOTAL	**899**	**131**	**175**	**290**	**153**	**23**	**1227**	**444**	**1671**

Source –Educational Statistics published by the Directorate of Education2011-12

C Elementary School Teachers in the State

DISTRICT	SCHOOL CATEGORY	NUMBER OF TEACHERS		
		MALE	FEMALE	TOTAL
North Goa	Primary	214	2059	2273
	Upper Primary	437	991	1428
	Total	**651**	**3050**	**3701**
South Goa	Primary	149	1619	1768
	Upper Primary	244	854	1098
	Total	**393**	**2473**	**2866**
State	Primary	363	3678	4041
	Upper Primary	681	1845	2526
	Total	**1044**	**5523**	**6567**

CHILD ENROLMENT AT THE ELEMENTARY STAGE IN GOVERNMENT, AIDED AND UNAIDED SCHOOLS

DISTRICT	STAGE	MANAGEMENT	NUMBER OF CHILDREN												TOTAL
			GENERAL			SC			ST			OBC			
			B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	
NORTH GOA	PRIMARY (I-IV)	GOVT	8297	7718	16015	353	329	682	652	697	1641	780	766	1641	[illegible]
		GOVT. AIDED/UNAIDED	16430	14637	31067	166	118	284	458	436	1204	936	805	1204	[illegible]
		TOTAL	24727	22355	47082	519	447	966	1110	1133	2845	1716	1571	2845	
	UPPER PRIMARY	GOVT.	3241	2817	6058	186	148	334	205	214	294	399	386	294	[illegible]
	(V-VIII)	GOVT. AIDED/UNAIDED	4573	17159	21732	405	368	773	1525	1358	2160	3155	2991	2160	[illegible]
		TOTAL	7814	19976	45108	591	516	1107	1730	1572	2454	3554	3377	2454	[illegible]
SOUTH GOA	PRIMARY	GOVT	4452	4387	8839	190	160	546	1332	1239	3198	838	794	3198	[illegible]
		GOVT. AIDED/UNAIDED	15309	13984	29293	447	115	342	1177	1089	2850	599	516	2850	[illegible]
		TOTAL	19761	18371	38132	637	275	888	2509	2328	6048	1437	1310	6048	[illegible]
	UPPER PRIMARY	GOVT.	1992	1631	3623	173	142	546	934	936	1532	340	290	1532	[illegible]
		GOVT. AIDED/UNAIDED	16207	15541	31748	286	285	342	2183	1940	2929	1320	1141	2929	[illegible]
		TOTAL	18199	17172	35371	459	427	888	3117	2876	4461	1660	1431	4461	[illegible]

Cont/-

STATE	PRIMARY	GOVT.	12749	12105	24854	543	489	1032	1984	1936	3920	1618	1560	3178	323 10
		GOVT. AIDED/UNAIDED	31739	28621	60360	613	233	846	1635	1525	3160	1535	1321	2856	1292 19
		TOTAL	44488	40726	85214	1156	722	1878	3619	3461	7080	3153	2881	6034	1916 19
	UPPER PRIMARY	GOVT.	5233	4448	9681	359	290	649	1139	1150	2289	739	676	1415	142 15
		GOVT. AIDED/UNAIDED	20780	32700	53480	691	653	1344	3708	3298	7006	4475	4132	8607	373 14
		TOTAL	26013	37148	63161	1050	943	1993	4847	4448	9295	5214	4808	10022	1914 19
		GRAND TOTAL	119487	109776	228263	1785	1693	3448	8343	7469	15808	7587	7125	15808	2999 8

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति (मार्च २०१२ तक)

विभिन्न प्रकार की पाठशालाओं में शिक्षा काधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन

राज्य शिक्षा निदेशालयने ३१ मार्च २०१२ को शिक्षा का अधिकार'कानून के राज्य नियम निर्दिष्ट किए |उन्हें राज्य कानून विभाग के अनुमोदन के लिए रखा |राज्य कानून विभाग ने इसे सूक्ष्मता से परखा|उसके बाद उसपर विचार विमर्श करने के लिए और अनुमोदितकरने के लिए राज्य मंत्री मंडल के सामने रखा |राज्य मंत्रीमंडल ने अपना अनुमोदन दिया |राज्य विधि मंडल को इन नियमो को अधिसूचीत करने से पहले उसपर विचार विमर्श करना है इसलिए अभी यह अधिनियम निर्देशित नहीं हुआ है|राज्य विधि मंडल की अनुमति के बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम वास्तव में कार्यान्वित किए जायेगे |

राज्य में मुफ्त एव अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध करने के लिए एक निर्णायक योजना तैयार की गयी है |

इसके अंतर्गत

अ):उम्र की अनुकूलता के अनुसार कक्षा प्रवेश

राज्य नियम सूची में दृष्टिकोण उपलब्ध है |जैसे ही शिक्षा का अधिकार के अधिनियम कार्यान्वित हो जायेगे यह दृष्टिकोण भी प्रभावकारी रहेगा |

इससे संबधित सब शासकीय और गैरशासकीय संस्थाएं इसे स्वीकार ने के लिए तैयार हो इसलिये आपसी संवाद, प्रशिक्षण कार्यक्रम, मुख्याध्यापकों में जागृति कार्यक्रम ,पालक तथा शिक्षक में संवेदनक्षमता बढ़ाना ,ग्राम शिक्षण समिती तथा पालक शिक्षण संघठन में जागृति लाना इस तरह के उपक्रम अलग अलग प्रशिक्षणों के माध्यम से चलाये गये |इस तरह प्रवेश लेने वाले बच्चों को खास प्रशिक्षण देने के लिये गैर सरकारी संगठनों से मदद ली गयी है|राज्य में आवासी तथा बिगर आवासी प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा मदरसा इन बिगर सरकारी संगठनो की मदद से चलाये जाते है |गतिविधियों का ब्योरा संमबधित अध्याय में उपलब्ध है |

ब)*पडोसी पाठशालाओं की उपलब्धता*

राज्य में हर एक किलोमीटर की परिधी में प्राथमिक पाठशाला तथा हर तीन किलोमीटर की परिधि में उच्च प्राथमिक पाठशाला उपलब्ध है |राज्य में १६९४ पाठशालाए शिक्षा दान का काम कर रही है |जिनमे १२४७ प्राथमिक तथा ४४७ उच्च प्राथमिक पाठशालाएँ समाविष्ट है |ज्यादा तर (३६९)उच्च प्राथमिक पाठशालाएँ माध्यमिक पाठशालाओ का हिस्सा है|इससे बुनियादी संरचना और उपलब्ध उपकरणों

पन्ना 19

का लाभ उच्च प्राथमिक विभाग को मिलता है |राज्य में १४१ बिना सहायता प्राप्त प्राथमिक तथा 12 उच्च प्राथमिक पाठशालाए कार्यान्वित है |राज्य के ३७०२ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की तुलना में प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या बहुत बड़ी हैं |औसतन २.१८ किलोमीटर में एक पाठशाला है|इन सब पाठशालाओं में २२८७६३ छात्रोंको पढाया जाता है |१.५२ लक्ष छात्र जो शासकिय शासन सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओ में अध्ययन अध्यापन करते है.इनमें सम्मीलित है |राज्य में १९९४ प्राथमिक पाठशालाएँ हैं जिनमे औसत १३५ छात्र पढ़ते हैं जिन्हें पढ़ाने के लिए उचित मात्रा में अध्यापक उपलब्ध हैं | ७७१९ अध्यापक इन पाठशालाओमें अध्ययन –अध्यापन कार्य करते हैं |राज्य का अध्यापक –छात्र प्रमाण २९.१ हैं |यह बात लक्षणीय है कि साधन सुविधा और ज्यादा वियालयों की उपलब्धी केवल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार है मगर शिक्षक –विद्यार्थी औसत भी दर्शाती है |राज्य के सब अध्यापक प्रशिक्षित हैं |

दूसरा महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य है ,सुव्यवस्थित और जुडी हुई परिवहन व्यवस्था जो छात्रों को वियालयों तक पहुचाना आसान बनाती है |इंदिरा बालरथ तथा गोमंत बालरथ जैसे वाहनों की सुविधा समाज कल्याण निदेशालय द्वारा की गई है ,ताकि अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को वियालयों तक पहुचने में सुलभता हो |

<u>राज्य के अभ्यासक्रम /पाठ्यक्रम का संवेधानिक मूल्यों के साथअनुपालन |</u>

वर्तमान दौर में राज्य में राष्ट्रिय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्था द्वारा बनाया गया -राष्ट्रिय शैक्षिक ढाँचा २००५ पर आधारित पाठ्यक्रम जो कक्षा दर कक्षा पद्धति से २००६-७ वर्ष से अपनाया गया है |राज्य में राष्ट्रिय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्था द्वारा बनाई गई किताबे राज्य की पाठशालाओ में चल रही है |भाषा विषयक किताबे इसके लिए अपवाद है | अनुमति लेकर कुछ सुधार इन किताबो में किए गए है ,ताकि इन किताबो के पाठ्यअशं में स्थानिक विषय सम्मिलित हो जिससे यहाँ के बच्चे परिचित है |राज्य शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्था ने कदम उठाया है, वे पाठ्यक्रम संबधी सुधार तथा किताबो में विकास लाए ताकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार पाठ्यक्रम में परिवर्तन हो सके |पाठ्यक्रम के अंतर्गत विविध विषयों के लिए समिती नियुक्त करने का काम चल रहा है | राष्ट्रिय शैक्षिक ढाँचा २००५ को पायाभूत मानकर और शिक्षा का अधिकार कानून को ध्यान में लेकर पाठ्यक्रम में सुधार लाने का काम निम्नलिखित मुद्दों पर आधारित हो रहा है |

अ)बालक का सर्वागिण विकास

ब)बच्चों के ज्ञान, अन्तरभूत क्षमता तथा कौशल का विकास |

पन्ना 20

क)बच्चों के शारीरिक तथा मानसिक क्षमताओं को परिपूर्णता की ओर ले जाना |

ड)शिक्षा का अधिकार अधिनियम सम्बन्धी जागृति लेने का कार्य |यह अत्यावश्यक है

कि शिक्षक पालक ,पालक शिक्षक संघठन के सदस्य ,शाला व्यवस्थापन समिती और ग्राम शिक्षणसमिती के सदस्य शिक्षा का अधिकार कानून के सब मुद्दोंसे परिचित हो। हर एक की जिम्मेदारी है कि वह बच्चो के अधिकार को सुरक्षित रखने में मदद करे ताकि बच्चों को शिक्षा का समान अधिकार और अवसर प्राप्त हों।

इ)<u>नि:शुल्क पूर्व प्राथमिक शिक्षा</u>

गोवा राज्य में अच्छी और प्रभावी पूर्व प्राथमिक प्रणाली कार्यान्वित हैं।महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत १३००आँगनवाडी और बालवाडी राज्य सरकार और शिक्षा निर्देशालय के माध्यम से चलाई जा रही है।जब कि कई नर्सरी और बालवाडी (के.जी)पाठशालायें मराठी ,कोंकणी और अंग्रेजी माध्यम में चलायी जा रही हैं। राज्य सरकार ने इन पूर्वप्राथमिक पाठशालाओं के लिए एक समान पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए कदम उठाये हैं। इसके फलस्वरूप पूर्वप्राथमिक शिक्षा ज्यादा परिणामकारक बनेगी।आगे चलकर ये बच्चे प्राथमिक तथा उच्चप्राथमिक अध्ययन अध्यापन के लिए तैयार हो जायेंगे।

राज्य सरकार ने ये समान पाठ्यक्रम का कदम इस हेतु से उठाया है ताकि हर बच्चा प्राथमिक शिक्षा के लिए शरीर तथा मन से तैयार हो जाये।उसका मानसिक विकास,शिक्षा ,शरीरिक तथा मनोकायिक कौशलों का विकास ,परस्पर संवाद ,अंक कौशल ,अच्छी आदतों का निर्माण जो आगे चलकर अच्छी मूल्यव्यस्था में परिवर्तित हो।इसके परिणाम स्वरुप राज्य में चलनेवाली पूर्वप्राथमिक शिक्षा संस्थाएँ तथा
पाठशालाएँ ये सब जरूरतें पूरी कर सकेगी। पूर्व प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं का शिक्षा निदेशालय के साथ पंजीकरण तथा शासन मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है।

शालेय विकास के साथ इन बच्चों का स्नायु विकास तथा मनोकायिक विकास हो इसलिए गोवा सर्व शिक्षा अभियान ने पूर्व प्राथमिक पाठशालाओं को खेल तथा अन्य सामग्री प्रदान की है।

फ) <u>कक्षा अंतर्गत अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया</u>

शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की रुपरेखा इस तरह तैयार की गई है और अध्यापकों की जरूरतों के अनुसार ऐसे घटकों का चुनाव किया गया है कि अध्यापक उचित कौशल सीखे ,तथा उनका अभ्यास करे जिसके कारण कक्षा अंतर्गत अध्ययन और अध्यापन प्रक्रिया बाल केन्द्रित ,आनंददायी तथा ज्यादा सक्षमहो सब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन अध्यापन के समान मौके मिले ,उच्च स्तरीय अध्यापन ,

ज्ञान की रचना करना . पुस्तकालय तथा मिडिया तकनीक का प्रयोग इन सब बातों को ध्यान में रखकर अध्यापक प्रशिक्षण की रुपरेखा आँकी गई|खंड संसाधक तथा समूह संसाधकों को क्षमता निर्माण का प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे अध्यापक प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षक के रूप में कार्य करे |जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्था और राज्य शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के विशेषज्ञों से मदद ली गई| अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में छात्रों का सहभाग रहे ,दोनों में सुसंवाद हो .कक्षा में यह प्रक्रिया दोनों को प्रोत्साहित करनेवाली हो . इसका ध्यान भी इस रुपरेखा को बनाते समय रखा गया |

राज्य में निरंतर सर्वकष मुल्यमापन योजना का चयन हुआ है| राज्य शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद और गोवा सर्व शिक्षा अभियान ने मिलकर संयुक्त रूप में राज्य के सभी पाठशालाओं में वरिष्ठ तथा मुख्याध्यापकों को छोटे अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके प्रशिक्षित किया गया |ताकि वे इस निरंतर सर्वंकष मूल्यमापन को अपनी पाठशाला में कार्यान्वित कर सके |राज्य की निरंतर सर्वंकष मुल्यमापन की योजना केंद्री शिक्षा मंडल की मुल्यमापन योजना पर आधारित है |इसके अलावा तालुका शिक्षा अधिकारी . खंड और समूह संसाधन अधिकारीयों को भी इस प्रशिक्षण में शामिल किया गया ताकि वे मार्गदर्शक बने .समय समय पर उन्हें पूरी सहायता दे ,पूरी प्रक्रिया पर नज़र रखे |साथ साथ अध्यापकों के साथ संवाद करे उनकी समस्या का निवारण करे , प्रभावी रूप से इस योजना का निर्वहन करने में सहायक बने |

<u>बच्चों को भय, चिंता ,मानसिक आघात से मुक्ति</u>

शिक्षा निदेशालय ने वर्ष २००७ से इस दिशा में आवश्यक कदम उठाये हैं |अध्यापक ,शिक्षा संस्थाओं के प्रमुख तथा बच्चों के माता-पिता को इस प्रावधान के बारेमें जागृत किया गया है |शिक्षा निदेशालय ने एक परिपत्रक निकाल कर शाला प्रमुखों के लिए स्पष्ट मार्गदर्शक तत्व दिए हैं कि,पाठशालाओं में शारीरिक दंड तथा उत्पीडन और लड़कियाँ तथा महिला अध्यापकों के उत्पीडन के लिए क्या प्रावधान है और इसके उल्लंघन पर क्या क़ानूनी कार्रवाई की जा सकती है !एकदम सुस्पष्ट शब्दोंमें यह परिपत्रक में लिखा गया है कि,किसी भी बालक को शारीरिक तथा मानसिक सजा नहीं दी जाएगी |

राज्य ने बाल अधिकार और संरक्षण आयोग का गठन किया है |यह आयोग गैर शासकीय संगठनों के साथ मिलकर अध्यापकों के लिए पाठशाला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है |ये प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षकों में बाल अधिकार

अधिनियम और शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीडन के प्रभाव के प्रति जागरूकता पैदा करते हैं |

समाज जागृति उपक्रम

ग्राम शिक्षा समिति तथा पालक शिक्षक संगठनों के सदस्यों को , शिक्षा का अधिकार अधिनियमों के बारेमें जानकारी दी गई |इस अधिनियम के बारेमें उनकी भूमिका और जिम्मेदारी क्या है इसके बारेमें उन्हें परिचित कराया गया |इस अधिनियम का कार्यान्वयन करते समय बच्चों से संबधित जो मुद्दे हैं उनका निर्वहन कैसे करे तथा उनकी स्थानिक पाठशालाओं का विकास कैसे करे इसके बारेमें उन्हें प्रशिक्षित किया गया वर्ष २०१० -११ में 4000 से भी ज्यादा सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया |विस्तृत ब्यौरा संबंधितपन्ने पर उपलब्ध है |

खास बच्चों के लिए प्रमुख सुविधाएँ

_***खास*** बच्चों के समावेशन को महत्व दिया गया है |खास बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ कक्षा की गतिविधियों में सहभाग लेने के समान अवसर प्रदान करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के मौके प्रदान किये जाये यह बात सुनिश्चित की गई है| इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं |

- 5%सेम्पल(नमूना) सर्वे|
- 540 खास बच्चो की वैद्यकीय जाँच|
- खास बच्चों के लिए सहायता सामग्री का प्रावधान|
- खास बच्चों की शस्त्रक्रिया|
- 14 गृह शिक्षा परियोजनावाले खास बच्चों को परिवहन तथा मददगार की व्यवस्था|
- गृह शिक्षा परियोजना के बच्चों को अध्ययन अध्यापन सामग्री|
- संसाधन कक्षों के लिए अध्ययन अध्यापन सामग्री|
- खंड स्तर पर संसाधन कक्षों के लिए खास स्वच्छता गृहों का निर्माण|
- पाठशाला स्तर पर खास स्वच्छता गृहों के साथ नये संसाधन कक्ष|
- खंड स्तर पर खास स्वच्छता गृहों के साथ नये संसाधन कक्ष|
- भारतीय पुनर्वासपरिषद के उच्चश्रेणी के लिए जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्था में प्रशिक्षण संसाधन केंद्र|
- संसाधन शिक्षकों की 6 महीने तथा 10 महीने की पगार|
- गृह शिक्षा योजना के स्वयंसेवकों को मानधन|
- खंड तथा समूह संसाधन अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण|
- समावेशी शिक्षा का मूख्याध्यापकों को एक दिवसीय प्रशिक्षण|

- समावेशी शिक्षा का अध्यापकों को पांच दिवसीय प्रशिक्षण|
- स्वयंसेवक तथा संसाधन अध्यापकों को सात दिवसीय बहु उद्देशी प्रशिक्षण|
- हर खंड से चार के हिसाब से नियमित अध्यापकों को 90दिवसीय प्रशिक्षण

विस्तृत ब्यौरा तथा उपलब्धियाँ सम्बंधित पन्नेपर|

राज्य का संक्षिप्त चित्र

१९दिसम्बर१९६१तक गोवा पर पुर्तुगाली अधिसत्ता थी |भारतीय सेना की मदद से १९ दिसम्बर को गोवा आजाद हुआ|इसमें स्थानिक तथा अन्य राज्य से आए स्वातंत्र्य सेनानियों का भी बड़ा हाथ है |इसके बाद एक केंद्रशासित प्रदेश के रूप में गोवा भारत का हिस्सा बना |३०मई१९८७ को गोवा को राज्य का दर्जा मिला |इससे प्रशासन में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई |

राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल ३७०२ वर्ग कीमी है |गोवा डो जिलों में बाँटा गया है |उसके छह उपविभाग और १२ तालुका है |गोवा में दो जिला पंचायत है |एक दक्षिण गोवा के लिए और दूसरी उत्तर गोवा के लिए |प्रशासन में कार्यतत्परता हो तथा लोगों के कामों का जल्दी निपटारा हो इसलिए यह रचना सुयोग्य है |

स्थान/क्षेत्रफल

गोवा भारत देश के कोंकण किनारे पर बसा हुआ प्रदेश है |राज्य की पश्चिम दिशा में १३१ किमी लम्बा का चांदी सा चमकता हुआ अरब सागर का किनारा है |इस राज्य के कुछ हिस्सों में पर्वतीय प्रदेश है ,तो उत्तर में मीटर की ऊँचाई तक पश्चिमी घाट है|तेरेखोल नदी ने गोवा को महाराष्ट्र से अलग किया है |गोवा के पूर्व और दक्षिण में कर्नाटक राज्य है |

तिसवाडी द्वीप जहाँ हमारी राजधानी पणजी है ,वह मांडवी और जुवारी नदियों के बीच बसा है |ये नदियाँ जमीन को एक उपनदी के प्रवाह के जरिए जोड़ीगईहैं |

यह द्वीप त्रिकोणाकार है ,और गोवा के बंदरगाहों को इसने डो भागों में बाँटा है |अगवाद जो मांडवी नदी के मुख पर स्थित है ,मुरगाव(मार्मगोवा) जो जुवारी नदी के मुख पर स्थित है |

२००१ की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या १३ लक्ष है जिसमें ६ .८७लक्ष पुरुष तथा ६ .६०लक्ष महिलाएँ हैं |२०११ की जनगणना के अनुसार जनसंख्या करीब करीब १४ लक्ष से अधिक है|यहाँ यह कहना भी उचित है कि राज्य में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों की तूलना में थोड़ी कम है | १००० पुरुषों की तूलना में ९३६ महिलाएं है |

राज्य की सीमा उत्तर दिशा में महाराष्ट्र राज्य से मिलती है |राज्य के दक्षिण और पूर्व में कर्नाटक राज्य की सीमाएं है |राज्य की पश्चिम दिशा में

१३१ किमी लम्बा अरब सागर का किनारा है|इस राज्य के कुछ भागों में पर्वतीय हिस्सा है तो उत्तर में १२०० मीटर की ऊँचाईपर पश्चिम घाट है|
इस राज्य की उत्तर दक्षिण लम्बाई १०५ किमी और पूर्व पश्चिम चौड़ाई ६० किमी है|
कुल क्षेत्रफल ३७०२ वर्ग किमी है |गोवा एक छोटासा आकर्षक मरकतमणि(पन्ना)जैसा हराभरा राज्य है ,जिसकी राजधानी पणजी है |भारत के पश्चिम किनारे का एक प्राकृतिक बंदरगाह मुरगाव (मार्मगोवा)जुवारी नदी की दक्षिण दिशा में स्थित है |

गोवा का हवामान साधारणत: सामान्य और प्रसन्न होता है |गर्मी में यहाँ का तापमान २४ से लेकर ३६ सेल्सियस तक होता है | गोवा में वर्षा ऋतु की शुरुआत सामान्य रूप से जून महीनेके प्रथम सप्ताह से होती है |जून से अक्तूबर कभी कभी नवम्बर तक गोवा में काफी मात्रा में (२५०० मिमी तक) बारिश होती है |छह प्रमुख नदियाँ हैं |मांडवी ,जुवारी ,साळ,तेरेखोल, तलपन,गाल्जिबाग ये गोवा की भूमि को समृद्ध करती हुई अरब सागर में जाकर मिलती हैं | गोवा के लोग शांतिप्रिय हैं |यहांके लोगों की मेहमाननवाजी दुनिया में मशहूर है |
2001 की जनगणना के अनुसार गोवा की जनसंख्या में ६५.७९ %हिन्दू ,26.६८% ख्रिस्ती ,6.84%मुस्लिम और 0.69%अन्य धर्मों के जैसे सिक्ख ,बौद्ध,जैन और अन्य लोग शामिल हैं |

पिछले कुछ सालोंमे इस राज्य में स्थलांतरित लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है | सुदूर राज्य जैसे कश्मीर ,पश्चिम बंगाल ,बिहार ,ओरिसा से लोग उपजीविका के लिए गोवा में आ रहें हैं |बहुत से लोग खनिज काम ,इमारतों का निर्माण ,किनारों पर रेत का खनन और अलग अलग चीजों की बिक्री इस तरह के कामों से रोजी रोटी कमाते हैं |

इसके बावजूद यह बात उल्लेखनीय है कि २०११ की सामयिक जनगणना के आंकडों के अनुसार गोवा की जनसंख्या कुछ मात्रा में बढी है |२००१ की जनगणना के अनुसार गोवा की जनसंख्या १३४७६६८थी जो १४५७७२३ हुई है |जिसमे ७४०७११ पुरुष तथा ७१७०१२ महिलाएँ हैं |पुरुष और महिलाओं का अनुपात ९६८ है |पिछले दस सालों में जनसंख्या केवल एक लक्ष बढी है |इसका मतलब हर साल दस हजार की बढोतरी हुई है |इसमें यह बात भी उल्लेखनीय है कि,२००१ से २०११ तक के दशक में महिला जनसंख्या में जो बढ़ोतरी हुई है वह पुरुष जनसंख्या की तूलना में ज्यादा है |इस समय के दौरान पुरुष जनसंख्या ५३४६३ है जो ७.७८ औसत है तो महिला जनसंख्या ५६५९२ है ,जिसकी औसत ८.५७है |

जनसंख्या विवेचन का संक्षिप्त चित्र

गोवा राज्य

दो जिले १)उत्तर गोवा .२)दक्षिण गोवा

खंड उत्तर गोवा जिले में छह खंड

दक्षिण गोवा जिले में छह खंड

कुल जनसंख्या	क्षेत्रफल किमी वर्ग	३७०२
	लोग	१४५७७२३
	पुरुष	७४०७११
	महिला	७१७०१२
दशकीय जनसंख्या वृद्धि२००१-२०११	लोग	११००५५ /८.१७ %
	पुरुष	५३४६३ /७ .७८ %
	महिला	५६५९२ /८.५७%
जनसंख्या घनत्व प्रति किमी		३९४
लिंग अनुपात		९६८ महिलाएं १०००पुरुषों की तूलना में
शिशु लिंग अनुपात		९२० महिलाएं १०००पुरुषों की तूलना में
कुल शिशु जनसंख्या	पुरुष (0- 0६)	७२६६९
	महिला (0 -0६)	६६८२६
0 -06 जनसंख्या	कुल	१३९४९५/९ .५७ %
कुल औसत	पुरुष	७२६६९/९ .८१%
	महिला	६६८२२६ /९ .३२ %
शिक्षित कुल		११४२११७/८७ .४० %
७ साल के ऊपर वाले शिक्षित	पुरुष	६२००२६/९२ .८१
	महिला	५३२०९१/८१ .८४
नागरी जनसंख्या	कुल	९०६३०९
	पुरुष	४६४५९०
	महिला	४४१७१९
नागरी शिक्षित	औसत	८९.३१
	पुरुष	६८७२४८
	महिला	६६०४२०

ग्रामीण जनसंख्या	कुल	५५१४१४
	पुरुष	२७६१२१
	महिला	२७५२९३
ग्रामीण शिक्षित	औसत	८४.२६
	पुरुष	९१.७१
	महिला	७६ .८४
जन्म दर (प्रति १०००जनसंख्या)		१३.६
मृत्यु दर(प्रति १०००जनसंख्या)		६ .६
शिशु मृत्यु दर%२०११ -१२		१०

पाठशाला संख्या २०११ /१२

प्राथमिक	शासकीय	९२१
	शासन सहायता प्राप्त	१७६
	बिना शासन सहायता प्राप्त	१४५
उच्च प्राथमिक	शासकीय	५१
	शासन सहायता प्राप्त	१०
	बिना शासन सहायता प्राप्त	१२
माध्यमिक	शासकीय	७४
	शासन सहायता प्राप्त	२८५
	बिना शासन सहायता प्रांप्त	१५
राज्य के गाँव तथा नगरों की संख्या (जनगणना २०११)	कुल गाँव	३५९
	निवासी गाँव	३४७
	अनिवासी गाँव	४
	जल मग्न गाँव	८
	नगर संकुल	६
	नगर	४४
	नगरपालिका वाले गाँव	१४
	अन्य जनगणना वाले नगर	३०

राज्य की प्रशासनिक संरचना

प्रशासनिक स्तर पर राज्य को दो प्रदेशों में विभाजित किया है |उत्तर गोवा जिला और दक्षिण गोवा जिला |हर जिले को छह खंडों में विभाजित किया गया| पेडने,बार्देस,डीचोली,सत्तरी,तिसवाड़ी ,फोंडा ये छह उत्तर गोवा के निर्वाचक खंड (तालुका)है |दक्षिण गोवा के पहले पांच खंड थे .२४ अप्रेल २०११ को विशाल सांगे खंड का विभाजन करके धारबन्दोड़ा खंड का निर्माण किया गया |अब दक्षिण गोवा में भी सांगे, धारबन्दोड़ा ,केपे ,काणकोण,सालसेट ,मुरगाव छह निर्वाचक खंड होगए|

यह नया खंड राज्य में सबसे छोटा तालुका होगा |

उत्तर गोवा और दक्षिण गोवा जिलों के मुख्य कार्यालय क्रमश:पणजी और मडगाँव में स्थित है | ३५९ राजस्व गावों में उत्तर गोवा में २१३ तथा दक्षिण गोवा में१४६गाँव आते हैं |राज्य मे इसके अतिरिक्त ४४ नगर है जिनमें १४ नगरपालिकाएं शामिल हैं |

राज्य का शासन तंत्र, मंत्री परिषद के अधीन है |जिसका नेतृत्व और मार्गदर्शन मुख्यमंत्री करते हैं |राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है और मुख्य सचिवराज्य का शासन तंत्र नियंत्रित करता है |जिलाधीश राज्य के क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है ,उपजिलाधीश प्रशासनिक क्षेत्र संभालता है | सभी तालुका स्तर पर तहसीलदार होते और खंड स्तर पर खंड विकासअधिकारी|

उत्तर गोवा के २१३ राजस्व गावों के समूहों लिए १२० ग्रामपंचायत हैं और दक्षिण गोवा के १४६ राजस्व गावों के समूहों लिए ६९ ग्रामपंचायत हैं|कुल मिलाकर १८९ ग्रामपंचायत हैं जो गाँव का प्रशासन संभालती हैं |

गाँव के स्तर पर ,सरपंच द्वारा पंचायत शासन को नियंत्रित किया जाता है |अन्य पंच सदस्य उनका सहयोग देते हैं ,ताकि विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयित करने के साथ साथ स्थानिक जरूरतें भी पूरी की जा सके |

नीचे का नक्शा राज्य की प्रशासनिक संरचना को दिखाता है |

INTERVENTIONS AND ACHIEVEMENTS AT A GLANCE

S.No.	Activity	Total Outlay approved		Achievement	
		Phy.	Fin	Phy.	Fin.
	SSA				
	Teachers Salary (Recurring)				
	Primary teachers				
2.19	Primary Teachers (Regular)-Existing	179	579.96	179	
	(a) Art Education	16	15.36		
	(b) Health and Physical Education	15	14.4		218.44
	(c) Work Education	16	15.36		
	Recurring salary of teachers - ACR in lieu of UPS				
	Sub Total (2.18 to 2.39)	**226**	**625.08**	**179**	**218.44**
	TOTAL (New Teachers Salary +Teachers Salary-Recurring)	**226**	**625.08**	**179**	**218.44**
3	**Teachers' Grant**				
3.01	Primary Teachers	2912	14.56	2912	14.56
3.02	Upper Primary Teachers	2786	13.93	2786	14.95
	Sub Total	**5698**	**28.49**	**5698**	**29.51**
4	**Block Resource Centre/ URC**				
4.01	Salary of Resource Persons:				
	(a) 6 Resource Persons at BRC for subject specific training	72	103.2	20	23.82
	(b) 2 Resource Persons for resource support for children with special needs	24	28.8		
4.02	1 MIS Coordinator	12	14.4		
4.03	1 Datra Entry Operator	12	11.52		
4.04	1 Accountant-cum-support staff for every 50	12	14.4		

	schools				
4.05	Furniture Grant	1	1		
4.06	Replacement of furniture, computer, TLE etc (Once in 5 years)	11	11		
4.07	Contingency Grant	**12**	6	11	5.50
4.08	Meeting, TA	12	3.6	11	3.30
4.09	TLM Grant	**12**	**1.2**	11	1.10
4.10	Maintenance Grant	12	1.2	5	0.50
4.11	RPs Salary Enhancement				
	Sub Total	**192**	**196.32**	**58**	**34.22**
5	**Cluster Resource Centres**				
5.01	Salary of Cluster Resource Persons (on an average of one Resource Person per 18 schools in a block)	110	158.4	108	15.88
5.02	Furniture Grant				
5.03	Replacement of furniture, computer, TLE etc once in 5 years	110	11	44	4.40
5.04	Contingency Grant	110	11	108	10.80
5.05	Meeting, TA	110	13.2	108	12.96
5.06	TLM Grant	110	3.3	108	3.24
5.07	Maintenance Grant	110	2.2	30	0.60
5.08	RPs Salary Enhancement				
	Sub Total	**660**	**199.10**	**506**	**47.88**
6	**Teachers Training**				
6.01	Refresher In-service Teachers' Training at BRC level and above - 10 days	5698	113.96	5196	
6.02	One day monthly cluster level meetings and peer group training sessions for 10 months for all teachers each year at CRC level - 8 days	5698	56.98	**493**	27.00
6.05	Refresher Training for all Resource Persons,Master Trainers, BRC & CRC faculty and Coordinators for 10 days each	220	4.4	174	

	year				
	Sub Total	**11616**	**175.34**	**5863**	**27.00**
7	**Interventions for Out of School Children**				
8	**Special Training**				
8.01	Setting up of special training facility for age appropriate admission of out of school children				
	(a) Residential Bridge Course	278	55.6		
	(b) Platform School				
	(c) Seasonal Hostel 3 months				
	(d) Seasonal Hostel 6 months				73.46
	(e) Human Development Centre				
	(f) Non-Residential Bridge Course	774	38.7		
	(h) Madarsa	147	7.35	147	
	Sub Total	**1199**	**101.65**	**147**	**73.46**
9	**Free Text Book**				
9.01	Free Text Book (P)	36955	55.43		186.91
9.02	Free Text Book (UP)	76374	190.94		
9.03	Braile Books for PS				
9.04	Braile Books for UPS				
	Sub Total	**113329**	**246.37**		**186.91**
11	**Interventions for CWSN (IED)**				
11.01	Provision for Inclusive Education				
	1) 5% Sample Check of the CWSN data (2 Dist)	2	0.9		
	2) Medical Assessment for 540 CWSN	220	0.33		
	3) Provision of Aids and Appliances to CWSN	80	1.2		6.81
	4) Surgery to CWSN	2	0.38		
	5) Escort and Transport for 14 HBE to attend school	14	0.14		

	6) TLM for HBE CWSN	14	0.14		
	7)TLM for 9 existing Resource Rooms at School level	9	0.9		
	8) Strengthening of existing Resource Rooms at block level including disabled friendly toilets.	5	0.5		
	9)New Resource Rooms including disabled friendly toilets at school level	4	1.4		
	10)New Resource Rooms including disabled friendly toilets at block level	7	2.45		
	11) Developing a Training Resource Centre at DIET for RCI upgradation	1	2		
	12) Salary of RTs for 6 months	12	10.8		
	13)Salary of RTs for 10 months	5	7.5		
	14) Remuneration for Volunteers for HBE for 8 months	8	2.56		
	15) 1 day training to BRP/CRP/RPs	240	0.24		
	16) 1 day IE training to HMs	300	0.6		
	17) 5 day IE training to teachers	100	1		
	18) 7 days multi category training for RT/Evs	12	0.24		
	19) 90 days (RCI) training to regular Teacehrs @ 4 per block	40	1.4		
	Sub Total	**1075**	**34.68**		6.81
12	**Civil Works**				
12.02	CRC	139	90.00		
12.14	Additional Class Room (Rural)	104	72.5		
12.28	Toilet/Urinals (Toilets, drinking water, CFE etc. for UPS)		14.24		
12.30	Separate Girls Toilet	220	82.90		73.41
12.31	Drinking Water Facility	230	46.00		
12.32	Boundary Wall		93.50		
12.33	Seperation Wall				
12.34	Electrification	40	8.37		

	6) TLM for HBE CWSN	14	0.14		
	7)TLM for 9 existing Resource Rooms at School level	9	0.9		
	8) Strengthening of existing Resource Rooms at block level including disabled friendly toilets.	5	0.5		
	9)New Resource Rooms including disabled friendly toilets at school level	4	1.4		
	10)New Resource Rooms including disabled friendly toilets at block level	7	2.45		
	11) Developing a Training Resource Centre at DIET for RCI upgradation	1	2		
	12) Salary of RTs for 6 months	12	10.8		
	13)Salary of RTs for 10 months	5	7.5		
	14) Remuneration for Volunteers for HBE for 8 months	8	2.56		
	15) 1 day training to BRP/CRP/RPs	240	0.24		
	16) 1 day IE training to HMs	300	0.6		
	17) 5 day IE training to teachers	100	1		
	18) 7 days multi category training for RT/Evs	12	0.24		
	19) 90 days (RCI) training to regular Teacehrs @ 4 per block	40	1.4		
	Sub Total	**1075**	**34.68**		**6.81**
12	**Civil Works**				
12.02	CRC	139	90.00		
12.14	Additional Class Room (Rural)	104	72.5		
12.28	Toilet/Urinals (Toilets, drinking water, CFE etc. for UPS)		14.24		
12.30	Separate Girls Toilet	220	82.90		73.41
12.31	Drinking Water Facility	230	46.00		
12.32	Boundary Wall		93.50		
12.33	Seperation Wall				
12.34	Electrification	40	8.37		

12.36	Office-cum-store-cum-Head Teacher's room (Upper Primary)	4	24.20		
12.37	Augumentation of training facility in BRC (one time)	11	55.00		
12.38	Child friendly Elements	250	100.00		
12.40	Ramps for CWSN	30	9.00		
12.41	MS Grills for Varanhah	150	52.50		
	(a) Primary School (per school)		0.03		
12.46	**Major Repairs**				
	(a) Primary School		11.10		
	(b) Upper Primary School		2.05		
	Sub Total of Civil Works	**1178**	**661.39**		**73.41**
14	**Maintenance Grant**				
14.01	Maintenance Grant (PS & UPS)	1029	60.75	969	57.18
	Sub Total	**1029**	**60.75**	**969**	**57.18**
15	**School Grant**				
15.01	Primary School	1093	54.65	1068	53.40
15.02	Upper Primary School	408	28.56	414	28.98
	Sub Total	**1501**	**83.21**	**1482**	**82.38**
16	**Research, Evaluation, Monitoring & Supervision**				
16.01	REMS activities	1501	15.01	155	1.55
	Sub Total	**1501**	**15.01**	**155**	**1.55**
17	**Management & Quality (Up to 6% of the outlay)**				
17.01	Management & MIS up to 3.5%		51.00		35.95
17.02	Learning Enhancement Prog. (LEP) (P & UP) (up to 2%)		10.00		4.84
17.03	Community Mobilization up to 0.5%		8.00		
	Sub Total		**69.00**		**40.79**
18	**Innovation Head up to Rs.1 crore per district**				

18.1	50% of funds for Computer Aided Education in upper primary schools	2	**100.00**		
18.02	**Balance 50% of funds for innovating projects for:**				
	(a) Girls Education	1757	35.14		
	a) Health Assistance Programme for the girls of all communitites in Govt.Upper Pry. Schools in Rural Areas	2790	27.90		72.56
	(A) ECCE 5 dyas Training cum workshop of Anganwadi workers	1063	10.63		
	b) SC/ST/Monorities for Std VIII Project Books Ecyclopedia	12846	15.71		
	(d) Intervention for Minority Community children				
	(e) Intervention for Urban Deprived children				
	Sub Total	**18458**	**189.38**		**72.56**
19	**Community Training**				
19.01	VEC/SMC - 3 days residential	9818	58.91		
19.02	VEC/SMC - 3 days non-residential	9006	27.02		19.05
19.03	Local Authority - 3 days residential				
	Sub Total	**18824**	**85.93**	**4762**	**19.05**
	Total of SSA (District)				
22	**STATE COMPONENT**				
22.02	Management & MIS		80.00		74.99
22.03	LEP				
22.04	REMS	1501	7.51		
22.05	State Invervention				
22.06	SIEMAT				
	Sub Total	**1501**	**87.51**		**74.99**
	STATE SSA TOTAL	**177987**	**2859.21**	**19819**	**1046.14**

व्यवधान और उपलब्धियाँ २०११/१२

वर्ष २००७ में गोवा सर्व शिक्षा अभियान ने १७९ प्राथमिक अध्यापक नियुक्त किए थे,जो राज्य के शासकीय प्राथमिक पाठशालाओं में सहायक के रूप में काम करे |ये अध्यापक शिक्षा निदेशालय के अधीन कार्यरत हैं ,और उनका वेतन और बाकि नियम के अनुसार लाभ उन्हेंसमय समय पर मिलते हैं|इनके वेतन का भार गोवा सर्व शिक्षा अभियान उठाता है |

प्रकल्प स्वीकृति मंडल (पी.ए.बी .)के मंजूरी के तहत ५७९ .९६ लक्ष रूपये इन अध्यापकों के वेतन के लिए दिए गए थे |यह रकम शिक्षा निदेशालय को वापस दी गई |

अध्यापकों का वेतन (आवर्ती)	लक्ष्य		उपलब्धि	
२.१२प्राथमिक अध्यापक (नियमित)	मनुष्य संख्या	आर्थिक	मनुष्य संख्या	आर्थिक
	१७९	५७६.९६	१७९	२१८ .४४

अध्यापक अनुदान

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक अध्यापकों को अध्यापक अनुदान इसलिए दिया जाता है कि वे छात्रों के अध्यापन की जरुरत के अनुसार अध्ययंन अध्यापन सामग्री बनाये |अध्यापकों के प्रशिक्षण के दौरान भी इस विषय को महत्व दिया जाता है ताकि इस सामग्री को बनाने का हेतु सफल हो सके|समय के साथ इसमें परिवर्तन आरहे हैं यह बात ध्यान में रखकर इस अनुदान के उपयोग के मार्गदर्शक तत्व भी संशोधित किये जाते हैं |विषय के अनुसार अध्ययन –अध्यापन बिन्दुओं की पहचान करना ,उन्हें पढ़ाने के तंत्र ,उनमें आये विचार (संकल्पना) आसान तरीके से छात्रों तक पहुँचे इसलिए किस तरह की सामग्री बनाई जानी चाहिए.जिसका उपयोग कक्षा में

किया जा सके , इन सब बातों पर अध्यापक प्रक्षिशण के दौरान प्रकाश डाला जाता है।

खंड तथा समूह स्तर के प्रशिक्षक , अनुभवी अध्यापक तथा शिक्षक प्रशिक्षक इस प्रशिक्षण के दौरान अध्यापकों का मार्गदर्शन करते हैं ,ताकि वे उपयुक्त अध्ययन –अध्यापन सामग्री का निर्माण करे।

अध्ययन –अध्यापन सामग्री की प्रदर्शनी खंड तथा समूह स्तर पर आयोजित की जाती है। इससे अध्यापक तथा समूह अधिकारीयों की रचनात्मक कल्पनाओं का आदान-प्रदान होता है।

प्राथमिक अध्यापक

अध्ययन –अध्यापन सामग्री निर्माण के लिए १४.५६ लक्ष रूपये का अनुदान २९१२ अध्यापकों में वितरित किया गया।

उच्च प्राथमिक अध्यापक

वर्ष २०११ -१२ में २७८६ अध्यापकोंके लिये मंजूर हुआ था मगर २९९० अध्यापकों को इससे लाभ हुआ।

१३ .९३ लक्ष रूपये मंजूर हुए थे मगर १४.९५ लक्ष रूपये खर्च हुए।

नीचे दी हुई तालिका लक्ष्य और उपलब्धि दर्शाती है।

व्यवधान	लक्ष्य		उपलब्धि	
	मनुष्य संख्या	आर्थिक	मनुष्य संख्या	आर्थिक
प्राथमिक	२९१२	१४ .५६	२९१२	१४ .५६
उच्च प्राथमिक	२७८६	१३ .९३	२९९०	१४ .९५

पन्ना30) /   खंड संसाधन केंद्र

खंड तथा समूह संसाधन अधिकारी प्रभावी तरीके से कार्य करे इसलिए इस वृतान्त वर्ष के दौरान उन्हें क्षमता निर्माण प्रशिक्षण देकर शैक्षिक सहायता पद्धति को बल दिया गया ताकि वे अपने क्षेत्र में परिणामकारक रीति से काम कर सके |जून२०११ में खंड तथा समूह अधिकारीयों के लिए एक दिवसीय खंड स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गए |२०११ -१२ में प्रकल्प स्वीकृति मंडल (पी.ए.बी .)ने कौनसे उपक्रमों को मंजूरी दी है ,इनके बारेमें उन्हें ज्ञात कराया गया और खंड तथा समूह स्तर पर की जानेवाले उपक्रमों की रुपरेखा बनाने को कहा गया |

इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान अध्यापक प्रशिक्षण के विषय , पाठशालाओं में गुणात्मक विकास के मुद्दे ,समावेशी शिक्षा के व्यवधान ,समाज जागृति प्रशिक्षण की आवश्यकता इनपर चर्चा की गई |योजना के मुताबिक मनुष्य संख्या और आर्थिक लक्ष्य क्या है यह भी उन्हें बताया गया |

___खंड संसाधन केंद्र समन्वयकों की नियमित मासिक बैठक लेकर और खंड संसाधन केन्द्रों की भेंट करके उनके कार्य का मुआइना किया गया |राज्य के दलों ने खंड तथा समूह कार्यालय की भेंट की और अध्यापक प्रशिक्षण तथा समाज प्रबोधन प्रशिक्षण में उनकी सहायता की |खंड तथा समूह अधिकारीयों के साथ पाठशाला और आवासी तथा गैर आवासी सेतु पाठ्यक्रम केन्द्रों की भेंट करके उनके काम का भी मुआयना किया गया |

४	खंड संसाधन केंद्र	लक्ष्य		उपलब्धि	
	संसाधक व्यक्ति का वेतन	मनुष्य संख्या	आर्थिक	मनुष्य संख्या	आर्थिक
	अ -६ संसाधक व्यक्ति विषयानुसार	७२	१०३ . २	२०	२३ .८२
	ब –खास बच्चों के लिए२ संसाधक व्यक्ति	२४	२८ .८		
	१ ऍम आई एस को	१२	१४.४		
पन्ना 31	१ डी इ ओ	१२	११ .५२		
	१मुनीम/सहायक (accountant)५० पाठशालाओं के लिए	१२	१४.४		
	फर्नीचर अनुदान	१	१		

	फर्नीचर नुतनीकरण (पांच वर्ष में एक बार)	११	११		
	आकस्मिकता निधि	१२	६	११	५ .५०
	बैठक और प्रवास निधि	१२	३ .६	११	३ .३०
	अध्ययन अध्यापन निधि	१२	१.२	११	१ .१०
	निर्वाह निधि	१२	१.२	५	०.५०
	संसाधक व्यक्ति के वेतन में बढ़त				
	कुल	१९२	१९६ .३२	५८	३४ .२२

<u>समूह संसाधन केंद्र</u>

राज्य में १७७ समूह थे |प्रकल्प स्वीकृति मंडल (पी.ए.बी .)ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मानकों के अनुसार २०११ -१२ वर्ष से ११० समूहों को अनुमोदित किया (१८ पाठशालाओं का एक समूह)| गोवा सर्व शिक्षा अभियान ने मानकों के अनुसार समूहों का पुनर्गठन किया | इस व्यवधान का विस्तृत ब्यौरा नीचे |

५	समूह संसाधन केंद्र	लक्ष्य		उपलब्धि	
		मनुष्य संख्या	आर्थिक	मनुष्य संख्या	आर्थिक
	संसाधक व्यक्ति का वेतन(१८ पाठशाला को एक	११०	१५८ .४	१०८	१५ .८८
	फर्नीचर अनुदान				
	फर्नीचर नुतनीकरण (पांच वर्ष में एक बार)	११०	११	४४	४.४०
	आकस्मिकता निधि	११०	११	१०८	१० .८०
	बैठक और प्रवास निधि	११०	१३ २	१०८	१२ .९६
पन्ना 32	अध्ययन अध्यापन निधि	११०	३.३	१०८	३ .२४
	निर्वाह निधि	११०	२ .२	३०	०.६०
	संसाधक व्यक्ति के वेतन में बढ़त				
	कुल	६६०	१९९ .१०	५०६	४७ .८८

अध्यापक प्रशिक्षण

अध्यापक प्रशिक्षण एक बहुतही महत्वपूर्ण गुणात्मक व्यवधान है ,जिसके लिए बहुतही प्रभावी ,सूक्ष्म और निर्णयात्मक नियोजन की आवश्यकता होती है |इस साल यह व्यवधान नियोजन के अनुसार सम्पन्न नहीं हो सका |इसके कुछ प्रशासनिक कारण

है |जैसे नवम्बर २०११ के महीने में राज्य शिक्षा निदेशालय ने 'संविदा तत्व' पर अध्यापकों को नियुक्त किया ,जिसमें गोवा सर्व शिक्षा अभियान के ज्यादातर समूह तथा खंड संसाधको का भी समावेश था |इससे हर खंड में खंड तथा समूह संसाधकों के स्थान रिक्त हुए |परिणामत: अध्यापकप्रशिक्षण का कार्यान्वयन नहीं हो सका| इसलिए अध्यापक प्रशिक्षण की उपलब्धि नियोजन की तूलना में कम हुई |

जितने भी प्रशिक्षण हो सके उनमें "निरंतर सर्वकष मुल्यमापन ''को ज्यादा महत्व दिया क्यों किराज्य में इसके कार्यान्वयन का यह दूसरा वर्ष था |मूल्यांकन पद्धति का उचित कार्यान्वयन हो इसके लिए बहुत बारीकी से इस योजना के हर पहलु का अध्यापकों तक पहुँचाया गया |इसके बावजूद शिक्षा का अधिकार अधिनियम २००९और राष्ट्रीय शैक्षिक ढाँचा २००५ पर भी प्रकाश डाला गया |नीचे दी गई तालिका में अध्यापक लक्ष्य तथा उपलब्धियों के आंकडे हैं |

अध्यापक प्रशिक्षण	लक्ष्य		उपलब्धि	
	मनुष्यबल	आर्थिक	मनुष्यबल	आर्थिक
सेवान्तर्गत शिक्षक प्रशिक्षण १० दिन खंड स्तर	५६९८	११३.९६	५१९६	२७ %
एक दिवसीय समूह स्तर	५६९८	५६ .९८	४९३	
प्रशिक्षक ,प्रमुखप्रशिक्षक ,खंड तथा समूह संसाधक हर साल १० दिवसीय	२२०	४ .४	१७४	
कुल	११६१६	१७५ .३४	५८६३	२७ %

उपर के कारणों के साथ अध्यापक प्रशिक्षण का लक्ष्य पूरा न हो पाने के और भी कारण है |जैसे जनगणना के लिए अध्यापकों की नियुक्ति ,चुनाव सम्बन्धी गतिविधियों में अध्यापकों का अंतर्भाव |मार्च २०१२ में होनेवाले विधानसभा चुनाव के लिए ज्यादातर अध्यापक 'चुनाव ड्यूटी' पर थे |इसलिए उनका सहभाग कम रहा| |मुख्याध्यापकों ने भी अध्यापकों के प्रशिक्षण में शामिल होने में नाराजी जताई |इन सब कारणों की वजह से अध्यापकों की उपस्थिति कम रही |

<u>शालाबाह्य बच्चों के लिए व्यवधान</u>

	खास प्रशिक्षण	लक्ष्य		उपलब्धि	
		मनुष्यबल	आर्थिक	मनुष्यबल	आर्थिक
	शालाबाह्य बच्चों को उम्र के हिसाब से प्रवेश देकर खास प्रशिक्षण				
	(अ)आवासी सेतु पाठ्य क्रम	२७८	५५ .६		७३ .४६
	(ब)प्लेटफार्म शाला				
	(□) तिन महीने का वसतिगृह				
	(ड) छह महीने का वसतिगृह				
	इ)मानव विकास केंद्र				
	फ)गैर आवासी सेतु पाठ्यक्रम	३७७४	८ .७	१४७	
	ह)मदरसा	१४७	७ .३५		
	कुल	११९९	१०१ .६५	१४७	७३ .४६

आवासी और गैर आवासी सेतु पाठ्यक्रम ,मदरसा और मख्ताब|

व्यवधान	पाठ्यक्रम में बच्चों का प्रवेश	मुख्य धारा में प्रवेश	उम्र के अनुसार मुख्य धारा में प्रवेश
आवासी सेतु पाठ्यक्रम	९८	०	०
गैर आवासी सेतु पाठ्यक्रम	१०६६	८	५३३
मदरसा /मकतब	२९६	०	०
कुल	१४६०	८	५३३

<u>मुफ्त पाठ्यपुस्तक</u>

वर्ष २०११ -१२ में गोवा राज्य सर्व शिक्षा अभियान ने कक्षा पहली से आठवीतक के छात्रों के पाठ्यपुस्तकों के लिए निधि उपलब्ध किया |निम्नलिखित तालिका में इस उपलब्धि की जानकारी तथा लाभान्वित बच्चों की संख्या है |

	मुफ्त पाठ्य पुस्तक	लक्ष्य		उपलब्धि	
		मनुष्य बल	आर्थिक	मनुष्य बल	आर्थिक
	मुफ्त पाठ्य पुस्तक(प्रा.)	३६९५५	५५ .४३		१८६ .९१
	मुफ्त पाठ्य पुस्तक(उ .प्रा)	७६३७४	१९०.९४		
	कुल	११३३२९	२४६.३७		१८६ .९१

(पन्ना ३५) खास बच्चे तथा समावेशी शिक्षा के लिए व्यवधान

	खास बच्चों के लिए व्यवधान	लक्ष्य		उपलब्धि	
	समावेशी शिक्षा के लिए प्रबंध				
१	खास बच्चों की जानकारी का ५ %नमूना सर्वे(दो जिले)	२	०.२		६.८१
२	५४०खास बच्चो की वैद्यकीय जॉच	२२०	०.३३		
३	खास बच्चों के लिए सहायता सामग्री का प्रावधान	८०	१.२		
४	खास बच्चों की शस्त्रक्रिया	२	०.३८		
५	गृह शिक्षा परियोजनावाले खास बच्चों को परिवहन तथा मददगार	१४	०.१४		
६	गृह शिक्षा परियोजना के बच्चों को अध्ययन अध्यापन सामग्री	१४	०.१४		
७	शाला स्तर के विद्यमान ९संसाधन कक्षों कोअध्ययन अध्यापन सामग्री	९	०.९		
८	खंड स्तर पर विद्यमान संसाधन कक्षों के लिए खास स्वच्छता गृहों का निर्माण	५	०.५		
९	पाठशाला स्तर पर खास स्वच्छता गृहों के साथ नये संसाधन कक्ष	४	१.४		
१०	खंड स्तर पर खास स्वच्छता गृहों के साथ नये संसाधन कक्ष	७	२.४५		
११	भारतीय पुनर्वासपरिषद के उच्चश्रेणी के लिए जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्था में प्रशिक्षण संसाधन केंद्र	१	२		
१२	संसाधन शिक्षकों का ६	१२	१०.८		

	महीने का वेतन				
१३	संसाधन शिक्षकों का१० महीने का वेतन	५	७.५		
१४	गृह शिक्षा योजना के स्वयंसेवकों को८ महीने का मानधन	८	२.५६		
१५	खंड तथा समूह संसाधन अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण	२४०	०.२४		
१६	मुख्याध्यापकों को एक दिवसीय प्रशिक्षण (समावेशी शिक्षा)	३००	०.६		
१७	अध्यापकों को पांच दिवसीय प्रशिक्षण (समावेशी शिक्षा)	१००	१		
१८	सात दिवसीय बहु उद्देशी प्रशिक्षण (संसाधन शिक्षक /शिक्षक स्वयंसेवक)	१२	०.२४		
१९	शिक्षकों को ९०दिनों का भारतीय पुनर्वासपरिषद का प्रशिक्षण(चार नियमित शिक्षक हर खंड से)	४०	१.४		
	कुल	१०७५	३४.६८		
	पन्ना ३६				

नागरी / साधन सुविधा निर्माण (सिविल वर्क)

लड़कियों के लिएँ अलग प्रसाधन गृह और पिने के पानी की सुविधा के प्रावधान के साथ गोवा राज्य के सर्व शिक्षा अभियान ने शासकीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक पाठशालाओं के साधन सुविधा विकास का काम हाथ में लिया|ग्राम शिक्षा समिति के निर्माण के पहले यह काम सार्वजानिक निर्माण कार्य निदेशालय को सौंपा जाताथा|

वर्ष २००८ -०९ से संरक्षक दीवार ,अतिरिक्त कक्षा ,वियुतीकरण ,लड़कियों के प्रसाधन गृह का निर्माण ,वरांडा ग्रिल्स, ये सब काम पाठशाला की जरुरत के अनुसार सम्बंधित ग्राम शिक्षा

समिति को सौंपे गए ।नीचे दी हुई तालिका में साधन सुविधा निर्माण की उपलब्धियों की जानकारी है।

	नागरी/साधन सुविधा काम	लक्ष्य		उपलब्धि	
		संख्या	आर्थिक	संख्या	आर्थिक
	समूह संसाधन केंद्र	१३९	९०.००		
	अतिरिक्त कक्षा (ग्रामीण)	१०४	७२ .५		
	उच्च प्रा . के लिए शौचालय ,पीनेका पानी ,बच्चों की खेल सामग्री आदि		१४.२४		७३ .४१
	लड़कियों के लिए अलग शौचालय	२२०	८२ .९०		
	पिने के पानी की सुविधा	२३०	४६ .००		
	संरक्षक दीवार		९३ .५०		
	विभक्त दीवार				
	विद्युतीकरण	४०	८.३७		
	उच्च प्रा के लिए कार्यालय/संग्रह /मुख्याध्यापक कक्ष	४	२४ .२०		
पन्ना ३७	**खंड संसाधन केंद्र में प्रशिक्षण सुविधा में वृद्धि**	११	५५ .००		
	बच्चों की खेल सामग्री	२५०	१००.००		
	खास बच्चों के लिए रैंप	३०	९ .००		
	वरांडा ग्रिल्स	१५०	५२ .५०		
	(अ)प्राथमिक पाठशाला (हरएक के लिए)		० .०३		
	प्रमुख मरम्मत				
	(अ)प्राथमिक पाठशाला		११ .१०		
	(ब)उच्च प्रा .		२ .०५		

	कुल	११७८	६६१.३९		७३.४१

<u>निर्वाह निधि</u>

	निर्वाह निधि	लक्ष्य		उपलब्धि	
		मनुष्य बल/संख्या	आर्थिक	मनुष्य बल/संख्या	आर्थिक
	प्राथमिक /उच्च प्रा .पाठशाला	१०२९	६०.७५	९६९	५७.१८
	कुल	१०२९	६०.७५	९६९	५७.१८

पन्ना ३८

शाला निधि

		लक्ष्य		उपलब्धि	
	शाला निधि	मनुष्य बल/संख्या	आर्थिक	मनुष्य बल/संख्या	आर्थिक
	प्राथमिकपाठशाला	१०९३	५४.६५	१०६८	५३.४०
	उच्च प्राथमिकपाठशाला	४०८	२८ .५६	४१४	२८ .९८
	कुल	१५०१	८३ .२१	१४८२	८२.३८

संशोधन और मूल्यांकन

'शिक्षा के क्षेत्र में सर्व शिक्षाअभियान के व्यवधान का प्रभाव' इस विषय पर संशोधन तथा मूल्यांकन करने की योजना गोवा सर्व शिक्षा अभियान ने राज्य के शिक्षक ,संसाधन व्यक्ति ,जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्था और शिक्षा महाविद्यालय के सामने रखी |इसके लिए अनुसंधान प्रस्ताव मंगाए गए|राज्य को छह प्रस्ताव मिले|

अनुदान सहायता समिति ने एक प्रस्ताव स्वीकृत किया |यह प्रस्ताव मंदगतिवाले छात्रों के अध्ययन –अध्यापन के सिद्धांत पर आधारित था |ओल कैन लर्न नाम के इस संशोधन प्रस्ताव से यह मूल्यांकन निकला कि मंदगतिवाले कहे जानेवाले छात्रों में केवल २ प्रतिशत छात्र सच्चे अर्थ में मंदगति होते हैं ,अगर उचित मौके मिले , उचित मार्गदर्शन समय समय पर नियोजित ढंग से मिले तो ऐसे बच्चों का अध्ययन –अध्यापन विकसित हो सकता है ,वे भी बाकि बच्चों की तरह आगे बढ़ सकते हैं |यह प्रकल्प जून २०११ में शुरू हुआ और मार्च २०१२ में संपन्न हुआ |निर्मला एज्युकेशन संस्था पणजी ने इस प्रकल्प पर संशोधन किया |सुश्री गार्गी सिन्हा इसकी प्रमुख अधिकारी थी |

पन्ना ३९

अनुशासन (मेनेजमेंट)और वृतांत सेवा की देखभाल (monitoring information services-MIS)

अनुशासन (मेनेजमेंट)और वृतांत सेवा की देखभाल का ब्यौरा नीचे दिया है|इसके लिए ६९.००लक्ष रुपयों का प्रावधान था .इसमेंसे ४० .७९ लक्ष रूपयों का उपयोग किया गया |नीचे की तालिका में इस व्यवधान का पूरा वृतांत है |

		लक्ष्य		उपलब्धि	
		मनुष्य बल/संख्या	आर्थिक	मनुष्य बल/संख्या	आर्थिक
	अनुशासन (मेनेजमेंट)और गुणवता		८०.००		७४ .९९
	एल .इ .पी .				
	आर .इ .एम् .एस .	१५०१	७.५१		
	राज्य व्यवधान				
	एस .आई.इ .एम् .ए .टी .				
	कुल	१५०१	८७.५१		७४ .९९

<u>नवीकृत क्रियाकलाप</u>

इस व्यवधान के अंतर्गत जो क्रियाकलाप आयोजित किये गए वे अनुसूचित जाति –जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों और लडकियों की अध्ययन जरूरतों को ध्यान में रखकर आयोजित किये गए |शिशु शिक्षा तथा विकास के अंतर्गत आंगनवाड़ी कर्मचारियों को पांच दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया|राज्य के सब याने १०६३ आंगनवाड़ी कर्मचारि महिलाएं इससे लाभान्वित हुई |पूर्व प्राथमिक स्तर के बच्चों को किस तरह मार्गदर्शन करना चाहिए इसके मुलभुत कौशल उन्हें बताये गए |अनुसूचित जाति –जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के कक्षा आठवी के छात्रों को एटलास और अंग्रेजी शब्दकोष दिए गए |१२८४६ बच्चे इससे लाभान्वित हुए

लड़कियों की शिक्षा के अंतर्गत ,बालिका प्रोत्साहन योजना जो पहले से शुरू थी उसे जारी रखा गया |इससे अनुसूचित जाति- जनजाति की १७५७ लड़कियाँ लाभान्वित हुई |

	नवीकृत क्रियाकलाप हर जिले के लिए १ करोड़	लक्ष्य		उपलब्धि	
		संख्या	आर्थिक	संख्या	आर्थिक
	उच्च प्रा . पाठशालाओं में संगणक सहायक शिक्षा ५० %निधि	२	१०० .००		
	बाकि ५० % निधि नवीकृत क्रियाकलाप				
	अ –बालिका शिक्षा	१७५७	३५ .१४		
	सब ग्रामीण शासकीय उच्च प्रा. पाठशालाओं की लड़कियों के लिए स्वास्थ्य सहायता कार्यक्रम	२७९०	२७.९०		७२ .५६
	आंगनवाड़ी कर्मचारी पांच दिन का प्रशिक्षण	१०६३	१०.६३		
	आठवी कक्षा के अनुसूचित जाति /जनजाति /पिछड़े वर्ग केछात्रों के लिए प्रकल्प कापी /विश्वकोश	१२८४६	१५.७१		७२ .५६
	अल्पसंख्य बच्चों के लिए				
	नागरी वंचित बच्चों के लिए				
	कुल	१८४५८	१८९ .३८		

पन्ना ४१

संगणक सहायक शिक्षा (सी .ए .एल.)

गोवा राज्य सर्व शिक्षा अभियानऔर शिक्षा निदेशालय दोनों ने मिलकर सेसा गोवा वेदान्त फाउन्डेशन के साथ एक सामंजस्य स्मरण लेख (एम्.ओ.यु.)पर हस्ताक्षर

किए |इसके मुताबिक गोवा राज्य के शासकीय तथा शासन सहायता प्राप्त उच्च प्रा . पाठ शालाओं में इ –लर्निंग कार्यक्रम शुरू हुआ |कक्षा छठी और सातवी के बच्चों के लिए अंग्रेजी . गणित और विज्ञान इन विषयों का पाठ्यक्रम से सम्बंधित

'सॉफ्ट वेअर ' की शुरुआत करना तथा दो विभागों में अध्यापक प्रशिक्षण इस तरह का यह कार्यक्रम था |उच्च प्राथमिक अध्यापक जो संगणक का प्रत्यक्ष प्रयोग नहीं करते थे ऐसे अध्यापकों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया,ताकि उनमें संगणक का प्रयोग करनेकी क्षमता आ जाएऔर कक्षा-अध्ययन में एक साधन के रूप में संगणक का प्रयोग करनेका तंत्र वे आत्मसात करे |

यह पूरा कार्यक्रम वेदान्त फाउन्डेशन के प्रशिक्षकों द्वारा चलाया गया |उन्होंने अध्यापक तथा छात्रों का मार्गदर्शन किया |अध्यापक और छात्रों से जो टिप्पणियाँ मिली उनके अनुसार उन्हें यह कार्यक्रम अछा लगा और इससे अध्ययन –अध्यापन प्रक्रिया ज्यादा मनोरंजक बननेमें सहाय हुआ |

उपर के कार्यक्रम के सिवाय राज्य सर्व शिक्षा अभियान ने १०५ शासकीय उच्च प्राथमिक पाठशालाओं को ४० इंच एलसीडी टीव्ही मोनिटर दे दिया |पिछले आर्थिक वर्ष में संगणक जोड़ का प्रावधान ,संगणक सहायक शिक्षा के अंतर्गत किया गया

था | यह प्रदान करते समय इस उद्देश को सामने रखा गया किउससे एक कक्ष

(कमरा)संगणक क्षम बनेगा |११ पाठशालाएँ रह गई थी .उन्हें इस आर्थिक वर्ष में यह सुविधा मिलेगी |राज्य के सब ११६ उच्च प्राथमिक पाठशालाओं को इससे लाभ हुआ |इंटरनेट जोड़ का प्रावधान भी इसमें है |

समाज जागृति /सामाजिक अभिप्रेरण

तिन दिन के आवासी तथा गैर आवासी कार्यक्रम करने के लिए जरुरी मार्गदर्शक तत्व विस्तृत रूप में खंड तथा समूह संसाधक अधिकारीयों को दिए गए |उनके अनुसार इस तरह के कार्यक्रम खंड तथा समूह स्तर पर संपन्न हुए | इन कार्यक्रमों के दौरान 'शाला विकास योजना ' में समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए इस पर प्रकाश डाला गया |

सामाजिक अभिप्रेरण के राज्य कार्यक्रम समन्वयक ने इन कार्यक्रमों में प्रशिक्षार्थियों को गोवा सर्व शिक्षा अभियान के वर्ष २०११ -१२ के मनुष्यबल औरआर्थिक लक्ष्य के बारेमें अवगत कराया |ये कार्यक्रम किस तरह आयोजित

करने है ,इसका विश्लेषण किया |ग्राम शिक्षा समिति ,पालक शिक्षक संगठन के सदस्यों के लिए शाला तथा समूह स्तरपर ये उपक्रम आयोजित किये गए| प्रशिक्षार्थियों को एक उपक्रम पत्रिका दी गई |शिक्षा अधिनियम २००९ के अनुसार पाठशाला और समाज के मेल से शालेय बच्चों के अध्ययन –अध्यापन का विकास कैसे किया जाए,इसपर भी प्रकाश डाला गया |शिक्षा के विकास में समाज की भूमिका क्या हैं इस बारेमें उन्हें परिचित किया गया |

खंड तथा समूह संसाधकों ने मार्गदर्शक तत्वों के अनुसार अपने अपने कार्यक्रमों का नियोजन किया |

आवासी तथा गैर आवासी समाज जागृति कार्यक्रमों के प्रमुख विषय निम्नलिखित ,

१ –शिक्षा का अधिकार अधिनियम २००९ के कार्यान्वयन में ग्राम शिक्षा समिति तथा पालक शिक्षक संगठन की भूमिका |

२-'शाला विकास योजना' का चयन|

३-निर्माण कार्य का अंकन तथा निधि का हिसाब रखने के काम में ग्राम शिक्षा समिती की भूमिका तथा जिम्मेदारी |

४ –सर्व शिक्षा अभियान की विविध योजनाओं की पहचान तथा उनके कार्यान्वयन के अवसर |

५ –राष्ट्रिय शैक्षिक ढाँचा २००५के अनुसार कक्षा –अध्यापन ,बाल केन्द्रित तथा कृतिप्रधान हो रहा है,सब बच्चों को अध्ययन –अध्यापन के समानमौके मिल रहे हैं इसका समय समय पर पर्यवेक्षण |

तिन दिवसीय गैर आवासी समाज जागृति कार्यक्रम समूह स्तर पर आयिजित किए गए | ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य तथा पालक शिक्षक संगठनों के सदस्यों को यह प्रशिक्षण दिया गया |आवासी समाज जागृति कार्यक्रम खंड स्तर पर आयोजित किये गए |इसमें ग्राम शिक्षा समिति और पालक शिक्षक संघटन के जो अध्यक्ष , सचिव ,कोषाध्यक्ष स्तर के सदस्य है ,उन्हें शामिल किया गया |अपने गावों की परिधि में ये ग्राम शिक्षा समिति तथा पालक शिक्षण संगठन के लोग सर्व शिक्षा अभियान की योजनाओं का कार्यान्वयन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं |शिक्षा से संबंधित विविध समस्याओं पर प्रकाश डालने के लिए लोककला तथा लोकगीतों का सहारा लिया गया |इन सब कार्यक्रमों में महिलाओं का सहभाग सकारात्मक और उत्साहवर्धक था |

इन कार्यक्रमों का अंतिम ब्यौरा निम्नलिखित |

	समाज जागृति प्रशिक्षण	लक्ष्य		उपलब्धि	
		मनुष्य	आर्थिक	मनुष्य	आर्थिक
	ग्राम शिक्षा समिति /शाला व्यवस्थापन समिति (तिन दिवसीय आवासी)	९८१८	५८.९१		१९.०५
	ग्राम शिक्षा समिति /शाला व्यवस्थापन समिति (तिन दिवसीय गैर आवासी)	९००६	२७ .०२		
	कुल	१८८३४	८५.९३	४७६२	१९.०५

अभिस्वीकृति

वर्ष २००६से लेकर आजतक गोवा सर्व शिक्षा अभियान ने निश्चित रूप से गोवा के शिक्षा क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन किया है |आरम्भ में सर्व शिक्षा अभियान ने शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक विकास से संबंधित व्यवधानों पर अपना ध्यान केन्द्रित किया| उसका उद्देश यह था किअध्यापकों को प्रभावशाली अध्ययन – अध्यापनसामग्री मिले जिसकी सहायता से कक्षा के क्रियाकलाप बालकेन्द्रित और कृतिप्रवण बने |हमारे राज्य समन्वयकों ने शिक्षकप्रशिक्षण को क्षमताधिष्टित बनाने के लिए तथा मुद्रित और वेब (इंटरनेट)सामग्री का प्रयोग अध्यापकों तक पहुँचाने के लिए कड़ी मेहनत की|अध्ययन –अध्यापन की गुणवत्ता बढ़े तथा वह प्रक्रिया प्रभावशाली बने इसलिए प्राथमिक तथा उच्च –प्राथमिक अध्यापकों को संगणसहायक अध्यापन कृतियों का भी प्रशिक्षण दिया गया |

खास बच्चे (सी .डब्ल्यू .एस .एन .)और शालाबाह्य बच्चे इनपर खास ध्यान दिया गया |इसके लिए बिगर शासकीय संस्थाओं को ज्यादा प्रबल बनाया गया(आर्थिक मदद देकर)और प्रोत्साहित किया गया कि उन बच्चों को मुख्य धारा में लाने का कार्य वे करे |

समाज प्रबोधन कार्यक्रमों के माध्यम से हमने पालक शिक्षक संगठन और ग्राम शिक्षा समिति को उनकी परिधि में आनेवाली पाठशालाओं की साधन-सुविधाएँ तथा

बालकों के लिए पाठशालाओं में सुयोग्य वातावरण निर्मिती करने के लिए उचित कदम उठाने के लिए प्रेरित किया |

इन विविध व्यवधानों के कार्यान्वयन के कारन पाठशालाओं में प्रत्यक्ष और गुणात्मक बदल हो रहें हैं .लेकिन सामने शासकीय पाठशालाओं में छात्रों की संख्या बढ़ाने का आव्हान खड़ा है| इन छात्रों के लिए नविनतापूर्ण योजनायें उपलब्ध करानी होगी ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए वे शिक्षकीय वियालयों की तरफ आकृष्ट हो जाएँ |

जहाँ जहाँ संभव है उन सब वियालयों में अच्छे स्वच्छतागृह कीऔर पिनेके पानी की सुविधा उपलब्ध करके गोवा सर्व शिक्षा अभियान ने एक लम्बी छलांग मारी है। गोवा सर्व शिक्षा अभियान ने राज्य के शिक्षा के क्षेत्र पर जो छाप छोड़ी है ,यह केवल हमारे सहयोगी (सहभागी)राज्य शिक्षा निदेशालय ,पालक शिक्षक संगठनों के सदस्य ,ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य इन सबके कृतिशील सहकार्य के कारन संभव हुआ।

गोवा सर्व शिक्षा अभियान के राज्य संसाधन कार्यालय के कर्मचारी तथा अधिकारी ,दोनों जिला कार्यालयों के अधिकारी तथा कर्मचारी ,हमारे खंड समन्वयक ,खंड तथा समूह संसाधक इन सबने ये सब व्यवधान /योजनायें अंतर्गत ग्रामीण भागों तक पहुंचाई हैं ,जहाँ निरंतर पर्यवेक्षण तथा तृणमूल कार्यान्वयन बहुत जरुरी था।

राज्य संसाधन दल के सदस्यों ने अपना ज्ञानऔर निपुणता दिखाकर गोवा सर्व शिक्षा अभियान को ज्यादा मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया है।

गोवा सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के निदेशक ,जिला शिक्षा प्रक्षिक्षण संस्था के प्राचार्य ,जो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे सहभागी तथा प्रवर्तक हैं ,इन सबके प्रति सच्चे हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता है।

गोवा सर्व शिक्षा अभियान शासकीय परिषद् के अध्यक्ष ,मुख्य सचिव के प्रति ,उनके मार्गदर्शन और सहाय के लिए सच्चे हृदय से आभार व्यक्त करता है।

कार्यकारी समिति के पूर्व अध्यक्ष और शिक्षा सचिव श्री व्ही .पी .राव ने जो उत्साह और दिलचस्पी दिखाई और व्यक्तिशः पर्यवेक्षण ,मार्गदर्शन करके हममें समर्पण वृति और उत्साह से कार्यप्रवण होने का जजबा प्रज्वलित किया ,उन्हें गोवा सर्व शिक्षा अभियान कैसे भूल सकता है?

अंततः गोवा सर्व शिक्षा अभियान मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारीयों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है ज़िन्होंने प्रकल्प स्वीकृति मंडल की और मूल्यांकन की बैठकों के दौरान हमारा सहकार्य किया तथा मार्गदर्शन किया।

गोवा प्रदेश में रहनेवाले हर बच्चे को पाठशाला में गुणात्मक शिक्षा तथा स्नेहपूर्ण वातावरण प्रदान करने के लिए आओ हम सब मिलकर अथक परिश्रम करे।

'बचपन मनुष्यजीवन का सबसे उत्तम चरण है'

सच्चे अर्थ में पढ़ा लिखा बच्चा हमारे भविष्य की ताकद है, जिसके कंधों पर इस देश की उन्नति का जिम्मा है।

फरेल फुर्तादो ,ग्रासियस,

राज्य परियोजना निदेशक,

गोवा सर्व शिक्षा अभियान.